राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/2022 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :--

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री ए.ए. मिश्रा, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्स का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :—

1. Case No 9110/2022 M/s Bhopal Municipal Corporation, HFA Cell, 3rd floor, ISBT, Hoshangabad Road, Habibganj, Dist. Bhopal. MP - 462011, Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) [Total Area - 28476.00 sqm, Total Built-up Area - 74574.02 sqm] at Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP) EIA Consultant: M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal.

This is case of Prior Environment Clearance for Construction of Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase II) under PMAY Scheme, On Khasra No. 131 (Part) [Total Area - 28476.00 sqm, Total Built-up Area - 74574.02 sqm] at Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP).

In the SEAC 566th SEAC meeting dated 23-04-22, the TOR for violation was recommended.

PP has submitted the online EIA report on Parivesh portal which was forwarded by SEIAA to SEAC on dated 12/07/2022.

In 586th SEAC meeting dated 21/07/22, the EIA was presented by PP Mr. Rajiv Kumar, Urban Planner, BMC, Bhopal and "Ms. Riju Bafana, Additional Commissioner, BMC, Bhopal & their Env. Consultant Shri Ajay Mohan from M/s. In- situ Enviro Care, Bhopal. After presentation, committee observed that there are many errors in the EIA report thus

based on the comments of the committee a revised EIA with query reply shall be submitted by PP.

PP submitted query reply and revised EIA report online through Parivesh Portal on 20/08/22.

The revised EIA and query reply was presented by PP Mr. R. K. Saxena, Chief Engineer, Mr. Rajiv Kumar, Urban Planner, BMC, Bhopal and "Ms. Riju Bafana, Additional Commissioner, BMC, Bhopal & their Env. Consultant Shri Ajay Mohan from M/s In- Situ Enviro Care, Bhopal today on dated 26/08/22 wherein it was submitted the name of PP has been changed due to retirement of Shri Ashok Pawar, Chief Engineer, Housing for All Project for which PP has submitted letter in SEIAA with copy to SEAC issued vide letter no. 1293/HFA/2022 dated 13.07.2022). The summery of query reply discussed by PP is as follows:

➤ PP submitted that as per Hon. NGT order original application no.44/2020(CZ) (I.A. no. 70/2021 point no. 4 page no. 3), DFO had suggested at least two-three rows of local species trees towards the Rivera township which will work as curtain between the proposed housing and the Rivera Township. In this regard, presently BMC has proposed 5 Rows plantation at the reference area. In this area about 1200 plants (Top Flora-260, Mid Flora-800 and Shrub or Ground Flora-140) are proposed in the Phase-II, Apart from the above 200 plants on periphery & 200 plants in open park area. Hence we have proposed total 1600 Plants (1200+200+200). The details of which were discussed with CCF Social Forestry, is given in the following plan.

	पौधे की प्रजातियाँ										
S.NO.	I Layer	II & III Layer	IV Layer	V Layer							
1	नीबू	गूलर	पाकड़	करंज							
2	जासमीन	केम	ऑवला	शीशम							
3	चांदनी	मीठी नीम	कचनार	आम							
4	तुलसी	गूगल	कबीट	नीम							
5	एलोवेरा	अमलताश	हर्रा	पीपल							
6	मेंहदी	तेन्दू	बहेडा	बरगद							
7		अमरुद	कालाशीशम	जामुन							
8		अनार	मौलश्री	महुआ							

9	सीताफल	जंगल जलेबी	इमली
10	बादाम	शमी	बांस
11	काजू	बेल	चिरोल
12	ज रुल		बीजा
13	टिकोमा		पाढर
14	पारिजात		हल्दू
15	बेर		टेबूबिया
16	रीठा		हरसिंगार
17			सप्तपर्णी

➤ Preliminary inspection by the SDO has been done. 152m of chain link fencing will be undertaken to keep this plantation safe. Additional plantation on the periphery and the garden area has also been planned. Open park areas are as follows:

Open Park	Area
Park 1	1030 sqm
Park 2	177 sqm
Park 3	3283 sqm
Park 4	1441 sqm
Park 5	241 sqm
Total Park area	6174 sqm

- ➤ The project construction site will be barricaded by 20 feet height MS Corrugated sheet around the construction area to restrict the fugitive emissions during the construction. (Photographs are given as evidence of Phase-I work done). Regular water sprinkling will be done using Tanker to suppress the dust for reducing the emissions. In operational phase-II we have proposed 5 Rows plantation of local species which will work as curtain wall between the proposed housing and the Rivera Township.
- ➤ PP submitted that in the Phase-I, 25 trees out of the existing 52 trees were cut after taking due permissions from Bhopal Municipal Corporation (Tree cutting permission obtained from BMC, Bhopal vide letter no. vide

SR.371/374/U.W.I./2018 Bhopal dated 03.08.2018 and SR. 424/U.WI. /2021 Bhopal dated 02.12.2021.) and in Phase-II, there are 27 trees. Permissions for tree cutting will be obtained as per norms for Phase II. About 19,115 plantations have been already planted and 15,300 plants are being planned by BMC on total 64 acres of land located at different places, to compensate the uprooted/cut plant of the Rahul Nagar site.

- ➤ PP submitted that as on date 6th July 2022, 48 houses were handed over to the beneficiaries. Details are submitted with query reply.
- ▶ Under the worst-case scenario, PP submitted carrying capacity of Nallah w.r.t. heavy rains and their respective protection plan, the topography of the project area is mild slope tending towards NW to SE varying 523 to 515 m which will remain the same post construction. The capacity of existing water bypass is 1789.92 cum which is connected to the existing located drain 125 m far from the project site. Assuming a very heavy precipitation of 25 mm/hr, the total storm water runoff by assuming 100% precipitation for worst case scenario 0.025 M X 28476 Sq.mt. = 711.9 m³/hr.
- The existing natural drain is available in south part of project which is connecting to natural drain at distance of 125m.
- ➤ Cost of project with documentary evidences w.r.t impose penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/21 PP submitted in their query reply that total planned cost of Phase-I was Rs 42.75 Cr. and cost of Phase-II is Rs 125 Cr. Till 30th June 2022, expenditure of Rs 31.68 Cr. has been incurred in Phase-I. At present the construction of entrance gate, retaining wall and approach C.C. Road work is yet to be done at the Sanjay Nagar Complex site. The expected construction cost of the remaining works is to be completed in about Rs 3.32 Cr. Thus the estimated cost of the project Phase-I will be Rs. 35 Cr. Construction of Phase-II is yet to be started on the site. Turnover clause is not applicable in the case of Urban Local Body implementing PMAY scheme.
- ➤ Under proof of initiation credible action under E (P) Act, 1986 PP submitted that SEIAA vide letter no. 608/SEIAA/2022 Dated 27.05.2022 already instructed the MPPCB, Bhopal for credible action which is under process and BMC is ready for the credible action under E (P) Act, 1986. In this context supporting letter no. 1297/HFA/2022 dated 20.07.2022 for the compliance of above.
- ➤ PP further submitted that before the start of Housing-for-all project in Rahul Nagar Part-1, this area was covered with slums, having poor sewerage, no proper disposal of rainwater, open defection, improper disposal of solid waste etc. leading to hazardous/unhealthy atmosphere for the residents as well as nearby townships. With the planning for housing-for-all in this area, we can provide planned housing structures for economically weaker sections, low-income groups and middle-income

groups. These planned sites have proper disposal of rainwater, sewer water, piped water supply, proper disposal of garbage, play areas for children in form of parks and intensive greenery on the side of Rivera Township through Miyawaki Technique. It is possible that movement of birds in the area could be affected due to cutting of trees. However intensive plantation will provide greater areas for birds. Periphery plantation will also help in creating green wall from the traffic on the road. Thus, this project will improve the landscape of the area with systematic and planned developed, thereby improving the biodiversity of the area.

For Comprehensive Damage Assessment, Remediation Plan and community Augmentation Plan with appropriate budgetary allocations in the EMP, as desired in the points 27, 28 and 29 of the existing TOR may be clearly stated in detail. PP submitted damage assessment & revised remedial cost comprising EMP plan has been estimated which is INR 8.24 lakh as capital & INR 11.86 lakh as recurring amount and INR 886.14 lakh of EMP as capital & INR 14.85 lakh as recurring amount. Details of Damage Assessment & Revised Remediation and augmentation plan are submitted with query reply.

S.	Environ	Remedial &	Reme	edial Cost	Environmental	EMP	Cost	Remarks
No.	mental Factors	Augmentation Plan	Capital	Recurring	Management Plan	Capital	Recurri	
	1 4 6 6 7 6						ng	
1	Land use as per Approve d Master Plan by T&CO, Bhopal	T&CP permission For Phase 1& Phase II has been obtained - No Violation	-	-	Project Cost, Capital Cost & Land Cost	-	-	T & CP permission for phase I & II has been obtained. Refer Annex 2.2 & 2.3
2	Environ mental Sensitive Places, Land Acquisiti on Status, Resettle ment&	This is a Central Govt. scheme for the living up gradation of slum residents. The project includes EWS, LIG& HIG scheme under	-	-	Land is in possession of BMC. All land records are enclosed in our EC Application.	-	-	{NO VIOLATION }

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	edial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
	rehabilita tion	PMAY plan.						
3	Baseline Environ mental Quality (2016- 22)	Environmental Monitoring from 2016-22 is pending @ 30,000/year*6 Years (2Air,2 Noise, 1 water location)	-	1,80,000	Environmental monitoring will be done as per the proposed EMP.	-	2,50,00 0	-
4	A) La nd	The total land area of the proposed project mentioned is 28,476.00 sqm/2.8476 ha (Phase I – 11276 sqm& Phase II - 17,200.00 sqm) and the built-up area is 74,574.02 sqm (Phase I Built up area -18,953.28 sqm +Phase II Built-up Area-55,620.74 sqm)	-	-	Land is in possession of BMC. All land records are enclosed within our EC Application. Construction waste will be used in land levelling and construction. Municipal waste will be disposed-off through Municipal Corporation.	-	-	{NO VIOLATION }
	B) Gro und Water	Water used for construction was sourced from BMC. For further construction of Phase II water will be supplied from the above-	-	-	The Main source of water supply for operational phase will be from BMC water supply. Water supply permission has been already obtained from			BMC Water Supply NOC has been obtained.

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
		mentioned source.			office of Municipal Corporation, Bhopal (Water Supply Division) for phase I & II.			
	C) Surfa ce Water	No water bodies exist within project lease area	-	-	We have enriched the living standard of families by relocating them from slum to flats. No negative impact on environment is identified.	-	-	{NO VIOLATION }
	D) Air	Water sprinkling had been done as per terms & condition of the work order agreements. (4000 Liter/day)	-	-	Construction period =2 years, Working Day =400 days so Per Day water requirement = 4 KLD (1 Tanker @ 80/ Tanker water cost)	-	1,28,00	In house arrangeme nts
	E) Biodi versity	25 trees were cut down and as compensatory more than 19 thousand trees were planted. Apart from this, 5 row plantations by adopting the Miyawaki technique on	-	-	The proposal of planting trees and enhancing the ambience of the proposed site will help developing a better Flora and Fauna.	-	-	We have proposed total 1600 plants sapling (1200 as a five-row plantation+ 200 on periphery +200 on open park

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
		southern part of project site and 400 tree on periphery and open area are also proposed. Hence, enhancing the ambience and providing shelter for Fauna.						area)
	F) Nois e &Vibrati on	Site is fully barricaded. Only PUC certified vehicles or machinery will be used at site.	-	-	-	-	-	{NO VIOLATION }
	G) Socio economi c & Health	We are improving socio-economic condition of the habitat.	-	-	-	-	-	Done in EIA study
	G. A) Occupati onal Health check-up for 100 Workers	Initial Medical Examination (IME) for 100 workers Deployed on site was done. (100 Labours X Rs.500* 6 years)	-	3,00,000	Initial Medical Examination (IME) for 100 workers deployed on Site. (500 Rs/Workers) for a year. Proposal for medical aid for the Labours require for further 75% construction work will be given.	3,00,00	1,50,00	Total calculated value for occupation al health and check- up, PPE" s and Worker's Shelter have been covered under

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
	G.B) Personal Protectio n Equipme nt's	PPEs was provided to all the labours and staff – under contractor's scope. (100 Labours* Rs.500 * Years)	-	3,00,000	Helmet, Jackets, hand gloves & Boots were provided to 100 Labour.	1,50,00	-	remedial cost.
	G. C) Shelter and Sanitatio n for 100 workers	Temporary shelter & Mobile toilet was provided to the workers at the time of Phase I Construction.		-	We will provide temporary Labour camp with mobile toilet during construction of phase II.	2,00,00	50,000	
5	Contour Plan with slopes Drainage pattern of the site and surround ing area any obstructi on of the same by the projects.	The capacity of existing nallah is 1789.92 cubic meter which is connecting to drain available in 125m from the project site via nalla. The total rainfall on project site approx. 7.390.15 m³/annum from Phase I & Phase II. The seasonal nallah on southern part of the phase II Which becomes active during rainy season will	-	-	-			No Violation

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	edial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
		be channelize as given in drainage map. Drainage of the project site will be same. The overflowing rainwater will be channelized into the already existing strengthen nallah.						
6	Tree Felling	Permission had been obtained from the department vide SR.371/374/U. W.I. /2018 BHOPAL DATED 03.08.2018 for 21 trees of different species and later the permission was obtained for 4 more trees vide SR. 424/U.WI. /2021 BHOPAL DATED 02.12.2021.In total 25 trees were cut down.	-	-	Plantation of 19,115 saplings has been done on different locations as compensatory plantation	-		
7	Tree Plantatio n	5-Row plantation toward Riviera	-	3,20,000	Plantation and Landscape will be done for both	19,13,1 02	6,070	All remedial cost will be

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
		Township near			phases.			utilized for
		seasonal nallah						left over
		will be done as						plantation
		per landscaping						& further
		plan on the site						developme
		using native						nt of
		flora, which will						additional
		enhance the						landscapin
		ecology of the						g.
		area i.e., about						
		1919.4 sqm						
		(140m *						
		13.71m), where						
		1200 plants						
		(Top flora -360,						
		Mid Flora -900						
		and Shrubs						
		orGround Flora						
		240) have been						
		proposed.						
		Plantation of						
		400 trees is						
		proposed of						
		native species						
		for both phases.						
		(200 nos. trees						
		on periphery &						
		200 nos. trees in						
		open park						
		area.). The						
		plantation will						
		be done as per						
		norms. (1600						
		plants X @Rs.						
		200)						
8	Permissi	Not Applicable	_	_	Not Applicable	-	_	No forest
-	on for							area is
	forest							involved in
	10.050							this

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	edial Cost	Environmental Management	ЕМР	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
	Land							project.
9	Environ ment policy	Policy is part of Term & Condition of mutual Agreement	-	-	-	-	-	Policy is part of Term & Condition of mutual Agreement
10	Ground Water Classifica tion	At construction phase no ground water has been used.	-	-	At construction phase no ground water has been used.	-	-	Private Water Tankers
11	Source of Water	A-Construction Phase - BMC pump house.	-	-		-	-	Water supply permission has been
		B-Operational Phase -BMC pump house.	-	-		-	-	obtained from BMC.
12	Source of Wastewa ter Treatme nt	The generated Wastewater was channelized into existing BMC's Sewer Lines according to AMRUT Yojna as CSTP, available near site of 4.65 MLD. For phase- I, no wastewater treatment facility (STP) had been proposed. Earlier during phase I AMRUT		-	The total water demand for the Phase I is around 226.8 KLD out of which 151.2 KLD is the fresh water & 75.6 KLD will be treated water which will be used for flushing purpose. And total water demand for Phase –II is around 186.50 KLD out of which 124.32 KLD is fresh water & 62.16 KLD will be treated water,	9,40,60	1,50,00	

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
		Yojna as CSTP was available and if need arise 150 KLD STP would be installed during phase ii along with existing CSTP line.			which will be used for flushing purpose. If we install STP.			
13	Dual Plumbing	Dual Plumbing is proposed only for the phase II as wastewater from phase 1 will be sent to CSTP near the project site.			Dual Plumbing for landscaping & water supply.	1,12,71, 240	2,16,39	Detailed in EMP
14	Rainwate r Harvesti ng	3 RWH pits have been proposed, each with recharging capacity of 8 Cubic Meter. 1 pit in phase-I and 2 pits in phase-II.	2,04,20	4,084	Total ground water recharge would be 7,390,.15 Cubic Meter /annum from Phase I & phase II. We have proposed total 3 No. of RWH pits of 8 Cubic Meter each recharge capacity for both phases.	1,60,00 0	3,200	3 RWH pits have been proposed, each with recharging capacity of 8 Cubic Meter.
15	Soil Characte ristics & Ground Water Table & Topsoil	The solid waste generated from basement, periphery and demolition of existing slum was utilized for	-	-	Plantation of 1200 saplings on southern part and 400 samplings on periphery and open area has been proposed to	-	-	NO VIOLATION

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
	Conserva	back filling, site			avoid any			
	tion	levelling. During			degradation or			
		construction			soil erosion of			
		12611.61 Cubic			project site.			
		meter waste						
		was generated						
		from basement						
		construction						
		and 294.1 Cubic						
		meter waste						
		was generated						
		from periphery						
		excavation.						
		About 637.77						
		Cubic meter of						
		waste was						
		generated from						
		demolition of						
		130 slums. The						
		accumulated						
		stones and						
		rubble waste						
		had been used						
		in levelling of						
		the surface area						
		of the project.						
		Topsoil had						
		been used for						
		open parks,						
		landscape						
		development						
		and						
		horticulture.						
В	Solid /	Construction /	-	-	C& D Waste was	-	-	-
	Sewer	Demolition			used on site as			
	Waste	waste			backfilling			
	Generati	generated			material.			
	on	during the						
	Treatme	construction						

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	edial Cost	Environmental Management	EMP Cost		Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
	nt	phase was used for back filling. MSW from phase I will be 675 kg/day (371 kg/day Biodegradable & 304 kg/day non – Biodegradable). MSW from phase II will be approx625 kg/day (344 kg/day Biodegradable,	-	-	Municipal solid waste disposal permissions have been obtained from Bhopal Municipal Corporation.	-	-	3 Bin system has been provided Photograp h are attached.
		& 281 kg/day non- Biodegradable).						
17	Energy conserva tion & Energy Efficiency (LED bulb & Solar System)	In phase I, 10 solar lights have been provided of 18 W each capacity and in phase II, solar panels of 20 KW (400W * 50 Panels) at 5 locations so to say 100 KW in phase II have been proposed. Table no.2-30 and Figure no.2.12 describe the details, budget, and location of each. Apart	5,70,00	-	Streetlights will be solar based and remaining energy will be utilised in public utilities, club house, open area, landscape, and parking areas.	2,28,34, 765	2,37,58	We have proposed Solar Panels.

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	edial Cost	Environmental Management	EMP Cost F Capital Recurri ng		EMP Cost Remar	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan				
		from that, 30 CFL lights are also proposed in both phases and 3 EV charging station of 60 KW each has been proposed in phase II. (33000 X 10 Pole = 3.30 Lakh and 8000 X 30 LED streetlight = 2.40 Lakh)							
18	DG Sets	75 kVA D.G. Set has been used for construction of phase- I.(3,000 X 4 quarters in each 6 years)	-	72,000.00	-	-	-	Violation	
19	Parking & Roads	Sufficient space exists for Parking	-	-	Development of Open Parking & Other Services Available.	-	-	Parking proposed as per approved T & CP plan.	
20	Transpor tation of materials for construct ion	Construction material was transported via dumpers. Same procedure will be adopted for phase II.	-		Construction material was transported via dumpers. Same procedure will be adopted for phase II.	-	-	Photograp hs of Covered Vehicles attached	
21	Disaster Manage ment	-	-	-	-	-	-	-	

S.	Environ mental	Remedial & Augmentation	Reme	dial Cost	Environmental Management	EMP	Cost	Remarks
No.	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri	
							ng	
	A)	An elaborate	-	-	Fire-fighting	5,08,44,	2,93,87	Fire NOC
	Fire	firefighting			equipment and	843	7	has
		arrangement			arrangement will			obtained.
		shall be			be available.			
		designed. As per			External fire			
		the requirement			hydrants system,			
		of National			hose pipes,			
		Building Code			pumps with			
		Part- IV. Internal			control panel,			
		fire hydrants at			overheads tanks,			
		suitable and			first aid, fire			
		convenient			extinguishers,			
		locations shall			sand buckets,			
		be provided on			Manual and			
		fire water			automatic fire			
		supply mains.			alarm, main			
					security room etc.			
					will be available.			
	В)	First aid kit is for	50,000	10,000	First aid kit is for	-	-	First Aid
	Acci	worker's safety			worker's safety is			facility has
	dental &	is always			always available			been
	First Aid	available on			on site.			provided
	etc.	site.						to the
								workers
								during
								constructio
								n, but no
								photograp
								hs are
								available.
	C) Safety	All loading	-	-	All loading	-	-	No
		machines,			machines,			Violation
		dumpers			dumpers			
		&Equipment			&Equipment			
		covers the			covers the safety			
		safety			measurement at			
		measurement			outmost level.			
		at outmost						

S.	S. Environ Remedial & mental Augmentation		Remedial Cost		Environmental Management	EMP Cost		Remarks
No	Factors	Plan	Capital	Recurring	Plan	Capital	Recurri ng	
		level.						
	Total Remedial Cost		8,24,20 0	11,86,084	Total EMP Cost	8,86,14, 550	14,85,1 22	-
		Total	20,	10,284	Total	9,00,9	9,672	-

During discussion PP submitted that at the time of phase-I, 27 trees were uprooted with the permission of competent authority and in phase-II, 25 trees will be uprooted for which permission of competent authority will be obtained. PP submitted that approx 35,000 trees will be planted within or outside of the project boundary and details are provided in the submitted documents. Till date 48 possession have been given in phase-I and silver greha rating is proposed for the phase-II. During presentation of DG sets location committee suggested that inspite of installing DG sets at different locations (as per the plan submitted by PP) all the DG sets shall be installed at a designated place with proper ventilation, vibration and Air Pollution control Norms as suggested by MP Pollution Control Board. Committee further instructed that in the scheme of plantation, proposed species such as Banana, Gulab and Munga shall be replaced by Mehandi, Harsingar, Karanj & Saptparni. PP during deliberations informed that they have also proposed 03 electrical charging points for this project. During deliberations it was observed by the committee that credible action under E (P) Act, 1986 is yet to be initiated for which PP submitted that SEIAA vide letter no. 608/SEIAA/2022 Dated 27.05.2022 has already instructed MPPCB, Bhopal for credible action which is under process and BMC is ready for the credible action under E (P) Act, 1986.

As far as cost of project is concerned w.r.t penalty as per point no 12 of SOP of MoEF&CC dated 07/07/2, PP submitted that total planned cost of Phase-I was Rs 42.75 Cr. and cost of Phase-II is Rs 125 Cr. However, till 30th June 2022, expenditure of Rs 31.68 Cr. has been incurred in Phase-I and phase-II is still to be initiated. At present the construction of entrance gate, retaining wall and approach C.C. Road work are yet to be completed in about Rs 3.32 Cr. Thus the estimated cost of the project Phase-I will be Rs. 35.00 Cr. Turnover clause is not applicable in the case of Urban Local Body implementing PMAY scheme on no profit and no loss basis for which committee after deliberations recommends that SEIAA shall take a decision on this issue. The Committee found the submission made by PP satisfactory and acceptable and recommends that PP shall deposit the bank guarantee with three years validity of Rs. 20.10 Lakhs (equivalent

to amount proposed in Remediation Plan /Restoration Plan) with the MP Pollution control Board after approval of the SEIAA as per the procedure laid down in the MoEF&CC Notification dated 08/03/2018.

Further, this being a violation case for which Ministry of Environment Forests & Climate Change vide its OM dated 28/01/2022, has reinstated the Standard Operating Process (SOP) dated 15/07/2021 as per the order dated 09/12/2021 of Hon'ble Supreme Court of India to deal with the violation cases. Penalty provisions as per para 12 (i) of the notification will be applicable i.e. 1% of the total project cost incurred up to the date of filling application. PP has submitted that total cost incurred is Rs. 31.68 Cr., thus 01% penalty amount will be Rs. 31.68 lakhs and further submitted that turnover clause is not applicable in the case of Urban Local Body implementing PMAY scheme as this is no profit no loss scheme for committee after deliberations recommends that SEIAA shall take a decision on this issue.

The EIA/EMP and other submissions made by the PP were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of Environment Clearance for Rahul Nagar - Part I (Phase I & Phase – II) Under PMAY Scheme at Village - Rahul Nagar, Kotra Sultanabaad, Tehsil - Huzur, Dist. Bhopal, (MP). [Total plot area 28476.00 sqm or say 2.8476 ha (Phase I - 11276 sqm & Phase II - 17200.00 sqm)., Planning area 27670sqm., proposed built-up area 74574.02 sqm (Phase I Built up area – 18953.28 sqm + Phase II Built up area - 55620.74 sqm) subject to deposit bank guarantee of Rs. 20.10 Lakhs (equivalent to amount proposed in Remediation Plan/Restoration Plan) with the MP Pollution Control Board after approval of the SEIAA, Penalty @ 1% of the total project cost incurred up to the date of filling of application i.e. Rs. 31.68 lakh as per clause 12 a.i. of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018, OM dated 07/07/21 & OM Dated 28/07/22 with the MP Pollution Control Board and proof of initiation of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21 with following conditions:

I. Statutory compliance:

- i. Order passed by Hon. NGT in OA no. 44/2020(CZ) (I.A. no. 70/2021) dated 04/1-/21shall be complied by PP in toto.
- ii. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project (if any).
- iii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife (if applicable).

- iv. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the sixmonthly compliance report. (In case of the presence of any schedule-I species in the study area).
- v. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.

II. Air quality monitoring and preservation

- i. Notification GSR 94(E) dated: 25/1/2018 MoEF& CC regarding Mandatory implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for project requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. 05 Diesel power generating sets (as 1 x 50 KVA + 1 x 75 KVA + 3 x 500 KVA (DG Sets) proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel.
- iii. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board.
- iv. The project construction site will be barricaded by 20 feet height MS Corrugated sheet around the construction area to restrict the fugitive emissions during the construction. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking wills all around the site plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, Murram and other construction materials prone to causing dust polluting at the site as well as taking out debris from the site.
- v. Sand, Murram, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution.
- vi. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- vii. Unpaved surface and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.

- viii. All construction and demolition debris shall be stored at the site (are not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
 - ix. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
 - x. The gaseous emission from 05 DG sets (1 x 50 KVA + 1 x 75 KVA + 3 x 500 KVA (DG Sets) shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
 - xi. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

III. Water quality monitoring and preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bioswales, landscape and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
- ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible Minimum cutting and filling should be done.
- iii. The total water requirement during operation phase-I & Phase II are as follows:

Operation for Phase I

S. No.	Description	Units/ Area	Persons per unit	Water Demand / Capita / Day	Water Demand (Ltr. /day)	Total water Demand (KLD)
1	Domestic water requirement	336	5	135	2,26,800	226.8
					Total water	226.8

Operation for Phase II

S.	Item	Units /	Persons / Unit	Water Demand /	Total Water
No.	Description	Area		head (liters)	Demand (liters)
1	Domestic Water	240	1200	125	162000
1		240	1200	135	162000
	Requirement				
2	Commercial	7226.54	700	35	24500
	Water				
	Requirement				
			To	otal Water Demand	186500

- iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be to monitor to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring reports.
- v. A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified separately for separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.
- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be previous. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as previous surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/fixtures (Viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan.
 - ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
 - x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
 - xi. The local bye-law construction on rain water harvesting should be followed. If local by-law provision is not available, adequate provisions for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development

Model Building bylaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.

- xii. A rain water harvesting plan needs to be designed where the recharge bores of minimum one recharge bore per 5,000 square meter of built up area and storage capacity of minimum one day of total fires water requirement shall be provided. In areas where ground water recharge is not feasible, the rain water should be harvested and stored for reuse. The ground water shall not be withdrawn without approval from the Competent Authority.
- xiii. For rainwater harvesting, 03 recharge pits will be constructed for harvesting rain water. The recharge capacity of each pits are about 8 m³. Mesh will be provided at the roof so that leaves or any other solid waste/debris will be prevented from entering the pit.
- xiv. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xv. No ground water shall be used during construction phase of the project.
- xvi. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xvii. The quality of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The recorded shall be submitted to the Regional Office, MoEF& CC along with six monthly Monitoring report.
- xviii. The generated Wastewater of phase-I & phase-II is/shall be channelized into existing BMC's Sewer Lines for treatment in CSTP of AMRUT Yojna, having capacity of 4.65 MLD. If required, 150 KLD STP shall be installed for Phase II if existing CSTP capacity is inadequate.
 - xix. If STP (MBBR) is installed in phase-II, 149.2 KLD total generated wastewater generated shall be treated in the STP of 150 KLD. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing; AC makes up water and gardening.
 - xx. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.
 - xxi. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted as per the guidelines of MP Pollution Control Board. Necessary measures should be made to mitigate the odour problems from STP.
- xxii. Sludge from the onsite sewage treatment including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Control Public Health and Environmental Engineering

Organization (CPHEEO) Manual on Huzurage and Sewage Treatment Systems, 2013.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. All the equipment likely to generate high noise shall be appropriately enclosed or inbuilt noise enclosures be provided so as to meet the ambient noise standards as notified under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000, as amended in 2010 under the Environment Protection Act (EPA), 1986.
- ii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.

V. Energy Conservation measures.

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured, Building in the State which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. Outdoor and common area lighting shall be LED.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.

VI. Waste Management

- i. During the operation phase, waste is comprised of domestic as well as landscape waste. The total quantities of solid waste that will be generated from Phase-I will be 675 kg/day (371 kg/day Biodegradable, & 304 kg/day non-Biodegradable) and from Phase-II will be approx. 625 kg/day (344 kg/day Biodegradable, & 281 kg/day non-Biodegradable). Following arrangements has been made at the site in accordance with Municipal Solid Wastes (Management and Handling) Rules, 2000 and amended Rules, 2016 and the electronic waste is managed as per the guidance of E-waste (Management and Handling) Rules 2016.
- ii. Any additional muck generated from remaining activities, will be disposed off at nearby villages with due consent of local administration/gram panchayat.
- iii. Solid waste management should be planned in details. Land filling of plastic

waste shall be avoided and instead be used for various purposes as envisaged in the EIA/EMP reports. Efforts be made to avoid one time use of plastics.

VII. Green Cover

i. As proposed in plantation scheme in the Phase-II, 1200 plants shall be planted as Top Flora (260), Mid Flora (800) and Shrub or Ground Flora (140) in five rows using Miyawaki Technique as advised by CCF, Social Forestry so to act as curtain for neighboring residents/societies. Chain link fencing shall be provided to keep plantation safe and protected. The five row plantation scheme shall be as follows;

	पौधे की प्रजातियाँ									
S.NO.	I Layer	II & III Layer	IV Layer	V Layer						
1	नीबू	गूलर	पाकड़	करंज						
2	जासमीन	केम	ऑवला	शीशम						
3	चांदनी	मीठी नीम	कचनार	आम						
4	तुलसी	गूगल	कबीट	नीम						
5	एलोवेरा	अमलताश	हर्रा	पीपल						
6	मेंहदी	तेन्दू	बहेडा	बरगद						
7		अमरुद	कालाशीशम	जामुन						
8		अनार	मौलश्री	महुआ						
9		सीताफल	जंगल जलेबी	इमली						
10		बादाम	शमी	बांस						
11		काजू	बेल	चिरोल						
12		जरुल		बीजा						
13		टिकोमा		पाढर						
14		पारिजात		हल्दू						
15		बेर		टेबूबिया						
16		रीठा		हरसिंगार						
17				सप्तपर्णी						

ii. Apart from these, additional 400 plants shall be planted (200 nos. on periphery & 200 nos. in open park area of phase-I & II) as greenbelt development. The area marked for this activity as given below shall not be diverted for any other purpose except for greenery:

Open Park	Area
Park 1	1030 sqm
Park 2	177 sqm
Park 3	3283 sqm
Park 4	1441 sqm
Park 5	241 sqm
Total Park area	6174 sqm

- iii. Out of the existing 52 trees, 25 trees were uprooted in phase-I after taking permissions from Bhopal Municipal Corporation and Phase-II, 27 trees proposed to be uprooted for which permission shall be obtained from the competent authority. In compensation for uprooting existing plants of Rahul Nagar site, as per the information provided by PP, 19,115 plantations have been already planted and 15,300 plants proposed to be planted by BMC on total 64 acres of land located at different places in Bhopal city.
- iv. Topsoil should be stripped to depth of 20 cm from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stack plied appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetations on site.

VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public and private network. Road should be designed with due consideration for environment and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
 - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic
 - b. Traffic calming measures.

- c. Proper design of entry and exit points.
- d. Parking norms as per local regulation.
- ii. A detailed traffic management and traffic decongesting plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the road within a 05 Kms radius of the project as maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of the development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management and the PWD/competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.

IX. Human health issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.
- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.
- iii. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implementation.
- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile, STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- vi. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

X. EMP & CER

i. PP has proposed Remediation Plan/cost of 20.10 Lakh (including capital Rs. 8.24 Lakh and 11.86 Lakh as recurring cost) for this project and PP, M/s. Bhopal Municipal Corporation, Shri R.K Saxena, Chief Engineer - HFA, Bhopal has proposed to submit a guarantee with three years validity of Rs.

- 20.10 lakh towards Remediation Plan. In addition, expenditure already incurred on implementation of EMP is Rs. 886.14/- as capital & Rs. 14.85 Lakh as recurring cost .
- ii. As per OM dated 07/07/21 Penalty @ 1% of the total project cost incurred up to the date of filling of application i.e. Rs. 31.68 lakh as per clause 12 that is of MoEF&CC Notification dated 08/03/2018 and OM dated 07/07/21 and proof of credible action under section 15 read with section 19 of the Environmental (Protection) Act, 1986 as per clause 11, step 2 of MoEF&CC OM dated 07/07/21.
- iii. The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated: 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- iv. The project proponent shall shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The Environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balance and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental/forest/wildlife norms/conditions. The project proponent shall have defined system of reporting infringements/deviation/violation of the Environmental/forest/wildlife norms/conditions and/or shareholders/stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six monthly reports.
- v. A separate Environmental Cell both at the project and head quarter with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- vi. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the PP shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- vii. The project is being developed by Bhopal Municipal Corporation under PMAY scheme, as CER is not applicable to the agency.

XI. Human health issues

i. Previously the area was occupied by slums as 130 families. All 130 families were relocated to Bhanpur Housing for all site. BMC has enriched the living standard of families by relocating them from slum to flats.

- ii. Preventive measures viz. fuming and spraying of mosquito control shall be done in and around the labour colonies, affected villages, stagnated pools, etc. Provisions be made to not to create any stagnated pools to avoid creation of breeding grounds of the vector borne diseases
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- iv. Labour force to be engaged for construction works shall be examined thoroughly and adequately treated before issuing them work permit. Medical facilities shall be provided at the construction sites.

XII. Miscellaneous

- i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the MP Pollution Control Board and the State Government.
- ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee (SEAC).
- iii. No further expansion or modification in the project shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- iv. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- v. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.

2. Case No 9278/2022 Shri Alok Jain S/o Shri Chandrabhan Jain, Ward No. 5, Sagar Road, Near Bus Stand, Ghuwara, Budour Ghaura, Dist. Chhatarpur, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.182 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 72/1, 73/1, 73/3) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 72/1, 73/1, 73/3) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.182 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. Case No 9279/2022 M/s Shri Sand Makers and Suppliers. Proprietor, Shri Pratyush Kumar Chhabra, B-20, Vaishali Nagar, Dist. Damoh, MP - 470661 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.40 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 63) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, MP.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 63) Village - Jujharpura, Tehsil - Bakaswaha, Dist. Chhatarpur, (MP) 1.40 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 26/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री प्रत्युश कुमार छावडा (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरीज इंनवायरोटेक इंडिया प्रा. लि. लखनऊ उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 1305 दिनांक 19/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 08 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार प्रश्नाधीन खदान को मिलाकर कुल रकबा 13.764 हेक्टेयर होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—1 श्रेणी के अंतर्गत आता है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपलोड जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण नही है किंतु खनिज अधिकारी ने पत्र क्रमांक 1544 दिनांक 08/7/22 के माध्यम से सूचित किया है कि पूर्व की सूची में उल्लेखित नही है तथा इसको पुनरीक्षित सूची में अन्य खदानो के साथ शामिल किया जाने का प्रस्ताव

दिया है । समिति ने चर्चा कर अनुशांसा की कि ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 310 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 930 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 800 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये । प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये। उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ टी.ओ.आर. जारी करने की समिति अनुशंसा करती है :—

- 1. प्रश्नाधीन खदान के पूर्व दिशा में 310 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा दक्षिण पूर्व दिशा में 930 मीटर पर आबादी है अतः उनकी संरक्षण योजना ई.आई.ए. के साथ प्रस्तुत कि जाये ।
- 2. प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है, अतः उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- प्रस्तावित खदान के 2.5 किलोमीटर की परिधि में कार्यरत सभी खदानों का क्यूमिलेटिव इंपेक्ट असेसमेंट किया जाये तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया जाये।
- 4. ई.आई.ए. रिर्पोट के साथ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिर्पोट जिसमें इस खदान का विवरण दर्ज हो अपलोड की जाये ।
- 5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान निर्धारित किया जाये तथा उसका विवरण ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 6. आंवटित खदान क्षेत्र पूर्ण रूप से पथरीला है अतः प्रस्तावित वृक्षारोपण योजना अनुसार नक्शे पर स्वाईल प्रोफाइल के साथ यह बताया जाये कि वृक्षारोपण कार्य किस जगह किया जायेगा ।
- 7. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 8. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 9. ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 10. शासकीय भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

4. Case No 8307/2021 Smt. Sangeeta Patidar W/o Shri Sudama Patidar, 49, Happy Villa Colony, Dist. Dhar, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (19400 cum per annum) (Khasra No. 496/3/2), Village - Bolda, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) EIA Consultant-M/s Apex Mintech, Udaipur.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 496/3/2), Village - Bolda, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 493वीं दिनांक 23/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

सेक की 573वी बैठक दिनांक 28/5/22 में धार जिले का नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ जानकारियों का समावेश कर अद्यतन कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 39 की तालिका क्रमांक 23 पर प्रश्नाधीन खदान का विवरण दर्ज है किंतु जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अभी अनुमोदन नहीं हुआ है।

प्रकरण सेक की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

आज दिनांक 21/07/22 (586वी बैठक) को परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता पाटीदार ऑनलाईन और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्वी दिशा में 600 मीटर दूरी पर आबादी है तथा दक्षिण—पश्चिम दिशा में 125 मीटर पर जल रोकने की संरचना स्थित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि जल रोकन की संरचना हेतु उनके द्वारा केचडेन्स, गारलेन डेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है तथा सेटलिंग के पश्चात् ही जल का निस्तारण किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान के पूर्व क्षेत्र में बाउण्ड्रीवाल के अंदर एक शेड दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् क्षेत्र के पास स्थित केशर का साइट आफिस है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान केशर से ध्विन प्रदूषण, वृक्षारोपण कार्य एव धूल की समस्या बावत् प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा तािक धूल की समस्या उत्पन्न न

हो। प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए:--

- √ फार्म−2 के बिंदु क्रमांक−17.1 में एम.एस.डब्लू की कोई जानकारी नहीं दी गई है तथा माईन वेस्ट का मोड आफ डिस्पोजल अथराइज्ड रिसाईकलर दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है ।
- √ अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रति ।
- √
 सिमिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. योजना ।
- 🗸 सिमति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित वृक्षारोपण योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 17/8/22 को ऑन लाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से सेक की 586वी बैठक दिनांक 21/7/22 में वांछित जानकारी अपलोड की गई । परियोजना प्रस्तावक श्रीमती संगीता पाटीदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से उपस्थित पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना, मेसर्स अपेक्स मिनटेक, उदयपुर ने बताया कि उनके द्वारा ऑन लाईन पुनरीक्षित फार्म-2 एवं अन्य जानकारियाँ अपलोड कर दी गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान से लगभग 0.60 टन प्रतिवर्ष एम.एस.डब्लू उत्पन्न होगा जो गांव के ट्रेन्चिग ग्राऊड में अपवहित किया जायेगा । इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज कमांक—39 के सरल कमांक—23 पर उल्लेखित है किंतु अभी इसका अनुमोदन नहीं हुआ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण योजना प्रस्तृत की गई हैं । समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है तथा इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक-39 के सरल क्रमांक-23 पर उल्लेखित है किंतू अभी इसका अनुमोदन नहीं हुआ है, अतः परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी किये जाने पर विचार किया जा सकता है कि संबंधित खनिज अधिकारी सिया द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन उपरांत ही इस खदान का अनुबंध कर पिटपास जारी करें । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :--

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 19,400 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.95 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.25 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम बोल्दा की ऑगनवाड़ी में पोषण आहार उपलब्ध कराना ।	50,000
ग्राम बोल्दा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 04 मेडिकल बेड एवं चिकित्सा	1,00,000
उपकरण ।	
योग	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा
नियतं स्थान		(संख्या में)
बैरियर जोन	नीम, करंज, चिरोल, जंगलजलेबी, खमेर, कंरज, सिस्सू सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	750
	·	
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, आम, बरगदा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	500
बोल्दा ग्रामवासियों में वितरण	आम, जामुन, आमरूद, ऑवला, अनार, निबू, इमली, कटहल अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	3550
	योग	4800

5. Case No 9215/2022 Shri Nilesh Raghuvanshi, Owner, Pahadsinghpura, Raghuvanshi Path, Mangal Bhawan, Dist. Khargone, MP - 451001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 07), Village - Mominpura, Tehsil - Khargone, Dist. Khargone (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 07), Village - Mominpura, Tehsil - Khargone, Dist. Khargone (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/06/22 को परियोजना प्रस्तावक और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रकरण से संबंधित दस्तावेज जैसे: लीज स्वीकृति पत्र, ग्राम सभा, वन मण्डलाधिकारी की एनओसी, तहसीलदार सर्टिफिकेट, खनिज अधिकारी की 500 मीटर में संचालित खदानों की जानकारी, अनुमोदित खनन् योजना, खसरा पंचशाला, फार्म—2, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, पी.एफ.आर. एवं ई.एम.पी. प्रस्तुत की गई। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 7687 दिनांक 27/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.00 है. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश—देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान का अधिकांश भाग खुदा हुआ है तथा उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में पक्के मकान एवं शेड दिखाई दे रहे है एवं लीज के अंदर कुछ पेड़ लगे हुए है । इसी प्रकार एक कच्चा रोड़ लीज के अंदर से उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में जा रहा है तथा दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड़ है ।

समिति ने पाया कि लीज के पश्चिम एवं पूर्व दिशा में काफी खदाने (प्रश्नाधीन खदान के अतिरिक्त 04 और खदाने) दिखाई दे रही है तथा कार्यालय कलेक्टर, (खिजन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 7687 दिनांक 27/05/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में सिर्फ 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी है तथा 01 खदान की अवधि समाप्त हो चुकी है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक से निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए:—

- ✓ खिनज अधिकारी का स्पष्टीकरण की प्रश्नाधीन खदान के 500 मीटर की परिधि में कुल कितनी खदाने स्वीकृत / संचालित है क्योंकि लीज के पश्चिम एवं पूर्व दिशा में काफी खदाने (प्रश्नाधीन खदान के अतिरिक्त 04 और खदाने) दिखाई दे रही है अतः इन खदानों की स्थिति स्पष्ट की जाये साथ ही खनन् क्षेत्र बीच में से खुदा हुआ है के संदर्भ में खिनज अधिकारी द्वारा जानकारी।
- ✓ खदान के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में पक्के मकान एवं शेड दिखाई दे रहे है तथा एक कच्चा रोड़
 लीज के अंदर से उत्तरी दिशा से दक्षिण दिशा में जा रहा है एवं दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर
 पक्का रोड है अतः इनके संरक्षण की योजना।
- √ लीज के अंदर कुछ पेड़ लगे हुए है अतः ट्री इंवेट्री मय प्रजाति का नाम, ऊचाई एवं गर्थ सहित ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये।
- 🗸 समिति द्वारा सुझाये अनुसार पुनरीक्षित ई.एम.पी. / वृक्षारोपण / सीईआर योजना ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 18/8/22 को ऑन लाइन परिवेश पोर्टल के माध्यम से सेक की 578वी बैठक दिनांक 16/6/22 में वांछित जानकारी अपलोड की गई । परियोजना प्रस्तावक श्री नीलेख रघूवंशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से उपस्थित पर्यावरण सलाहकार श्री रामराघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी., बड़ौदरा, गुजरात ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) खरगौन के पत्र क्रमांक 7851 दिनांक 05 / 07 / 22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में केवल 01 अन्य खदान संचालित है तथा एक अन्य खदान खसरा क्रमांक-07 पर दिनांक 24/09/11 से 23 / 09 / 21 तक स्वीकृत थी जिसकी अवधि समाप्त हो चुकी है एवं वर्तमान में बंद है । इसके अतिरिक्त 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य स्वीकृत / संचालित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के उत्तरी एवं पूर्वी सीमा में पक्के मकान एवं शेड दिखाई दे रहे है वे पूर्व में संचालित खदानों के खदानों के खनन् उपयोगी सामान एवं खदान से संबंधित सामग्री रखने हेतु साईट आफिस हैं, जिसमें किसी का स्थाई निवास नहीं है तथा फोटो संलग्न है । इसी प्रकार खदान के दक्षिण दिशा में 10 मीटर पर पक्का रोड़ के बारे में लेख है कि यह कच्चा रास्ता है तथा खनन् क्षेत्र के पास इसके दोनों ओर सघन वृक्षारोपण किया जायेगा । खनन् क्षेत्र से होकर निकलने वाले कच्चे रास्ते के बारे में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसका राजस्व रिकार्ड में भी उल्लेख नहीं है, जिसके संदर्भ में पटवारी द्वारा जारी मौका पंचनामा रिपोर्ट संलग्न की गई है तथा वे 7.5 मीटर के बैरियर जोन से आने जाने हेत् वैकल्पिक मार्ग देने हेत् सहमत है ।

इसी प्रकार परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज क्रमांक—20 के सरल क्रमांक—04 पर इस खदान का विवरण दर्ज है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि खरगौन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोड़कर) अभी परीक्षण हेतु सेक को

अप्राप्त है । अतः समिति का प्रस्ताव है कि परियोजना प्रस्तावक को सशर्त पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी किये जाने पर विचार किया जा सकता है कि संबंधित खनिज अधिकारी सिया द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन उपरांत ही इस खदान का अनुबंध कर पिटपास जारी करें । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 20,000 मी³ प्रति वर्ष।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.00 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 03.76 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम मोमिनपुरा के प्राथमिक स्वारथ्य केन्द्र में 02 स्ट्रेचर एवं 02 व्हील चेयर	20,000
ग्राम मोमिनपुरा की ऑगनवाड़ी में एक वर्ष तक पोषण आहार एवं खाने के वर्तन व	20,000
खिलौने उपलब्ध कराना ।	
योग	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2410 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन	चिरोल, नीम, जंगलजलेबी, करंज, सिस्सू सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	950
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	पीपल, करंज, चिरोल, नीम, सिस्सू, बरगद एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	200
मोमिनपुरा ग्रामवासियों में वितरण	आम, जामुन, आमरूद, सीताफल, ऑवला, अनार, निबू, इमली, कटहल अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	960
मोमिनपुरा ग्राम के प्राथमिक उपचार केन्द्र में	पुत्रंजीवा, मौलश्री, आम, इमली, मुनगा, कटहल, करंज अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
मोमिनपुरा ग्राम के शासकीय विद्यालय में	पुत्रंजीवा, मौलश्री, सतपर्णी, नीम, पीपल, करंज अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	250
	योग	2410

6. Case No 9268/2022 PRAGNA NAYAK, Owner Village- Gaduli, Tehsil- Meghnagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh-457779 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.50 ha. (19950 cum per annum) (Khasra No. 1043) Village - Morjhari, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua, (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1043) Village - Morjhari, Tehsil - Thandla, Dist. Jhabua, (MP) 2.50 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र कमांक 732 दिनांक 08/6/22 द्वारा झाबुआ जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर) अनुमोदित की गई है किंतु जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लिम्बत रहने की स्थिति न बने ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा इस प्रकरण में (9268/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1322 दिनांक 04/08/22) में उनकी 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में लिये गये निर्णय के अनुरूप प्रकरण एप्राइजल हेतु सेक को वापिस भेजा ।

प्रकरण सेक की 590वीं बैठक दिनांक 26/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

7. Case No 9261/2022 Shri Amar Singh Rajput, Director, Village - Makhani, Tehsil & Dist. Raisen, MP - 464551 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (7291 cum per annum) (Khasra No. 79/3 Part) Village - Sonthar, Tehsil - Goharganj, Dist. Raisen, MP

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 79/3 Part) Village - Sonthar, Tehsil - Goharganj, Dist. Raisen, (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 21/07/22 को (586वीं बैठक) परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 द्वारा रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है किंतु इस नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान का उल्लेख नहीं है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लिम्बत रहने की स्थिति न बने ।

आज दिनांक 26/08/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, (खजिन शाखा) एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 663 दिनांक 21/06/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 खदान स्वीकृत/संचालित है जिसका रकबा 3.929 हे. है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 4.929 हे. होता है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि इस खदान के विवरण अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में नहीं है जिस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश द्वारा इस प्रकरण में (9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में उनकी 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 में निम्नानुसार निर्णय लिया है :—

"राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया — चूँकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक की अनुशंसा पर सिया द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिए वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किए गए है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किये जाना उचित होगा । पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर सिया एवं सेक को सूचित किया जाये"।

समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि यह खदान दो भागों में स्वीकृत है तथा दोनो भागों के बीच में एक अन्य कार्यरत खदान स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मध्य में स्थित यह खदान किसी अन्य परियोजना प्रस्तावक की है जो विगत् 03 वर्षों से कायर्त है। समिति ने गूगल इमेज के अवलोकन से पाया कि इस लीज धारक द्वारा पर्यावरण संख्रण हेतु आवश्यक व्यवस्थाये जैसे गारलेन ड्रेन, सेटलिंग टेक, फेंसिंग, वृक्षारोपण आदि कोई कार्य किये गये हो ऐसा दृष्टिगत नहीं होता । अतः समिति के अनुशंसा हेतु कि इस खदान के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति जारी करने के विवरण यदि सिया के पास उपलब्ध हो तो उस पर उचित कार्यवाही की जाये । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया चूकि कि खदान् दो भागों में स्वीकृत है अतः पूर्वी दिशा वाला भाग जिसका क्षेत्रफल 0.43 हे. है पर खनन् कार्य नहीं किया जायेगा तथा वृक्षारोपण किया जायेगा । खनन् कार्य पश्चिम दिशा वाले भाग जिसका क्षेत्रफल 0.57 हे. है में किया जायेगा चूंकि स्वीकृत खनिज की मात्रा सिर्फ 7291 घन मीटर प्रतिवर्ष है जो 0.57 हे. के खनन् क्षेत्र से प्राप्त की जा सकती है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि स्वीकृत खदान के पूर्वी भाग से 50 मीटर की दूरी पर एक मौसमी नाला स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मौसमी नाला के संरक्षण हेतु खनन् क्षेत्र में गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है । आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग से होकर एक कच्चा रास्ता निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह रास्ता आसपास स्थित खदानों का खनिज परिवहन मार्ग है तथा आवंटित क्षेत्र के जिस भाग के पास से यह रास्ता निकल रहा है उसे नॉन माईनिंग छोड़ा जा रहा है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग में लगभग 04 से 06 पेड़ तथा पश्चिमी भाग में 01 पालश का पेड़ लगा हुआ है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटा जावेगा तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से सिमिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन 7,291 मी³ प्रति वर्ष।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि क्त. लाख एवं रिकृरिंग राशि क्त. लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम सोथार के स्कूल एवं आगनवाडी के मैदान का मुरूम द्वारा समतलीकरण	80,000
योग	80,000

 निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
बैरियर जोन एवं नॉन माईनिग जोन	चिरोल, नीम, खमेर, जगल जलेबी, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
परिवहन मार्ग (पेड़ों की ऊंचाई न्यूनतम 1 मीटर)	कदम, नीम, शीशम, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	400
ग्राम सोथार के ग्रामवासियों में वितरण	आम, मुनगा, आंवला एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	300
ग्राम सोथार के शासकीय विद्यालय में	नीम, खमेर, कचनार, कदम, शीशम, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	100
	योग	1200

8. Case No 8834/2021 M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, MP - 474009 Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, (MP) (7da) EIA Consultant: M/s. Creative Enviro Services, Bhopal.

This is case of Prior Environment Clearance for Capacity Expansion from 100 kg per hour to 350 kg per hour (by addition of rotary kiln of 250 kg per hour) in Common Bio Medico Bio Medical Waste Treatment Facility at Village - Antri, Tehsil - Chinor, Dist. Gwalior, MP.

The ToR was recommended in the 535th SEAC meeting dated 16/12/21.

The case was presented by the PP Shri Sanjay Sasode & Mr. Manoj Jaiswal and their Environmental Consultant Mr. Umesh Mishra, M/s. Creative Enviro Services, Bhopal. During presentation, PP submitted that this unit is in operation since in 21st April year 2019 and environment clearance was issued vide no 1801/SEIAA/2018 dated 28.02.2018. PP further stated that the proposed expansion project of setting up of another kiln of 250 kg per hr within existing Common Bio-medical Waste Treatment Facility already having 100 kg per hour rotary kiln Autoclave, Shredder, Storage and Effluent Treatment Facility. Following will be the configuration of the facility:

		Existing	Propose	Existing	Proposed
			d		
1	Rotary Kiln (with automatic waste feeding conveyor)	01	01	100 kg per hr	250 kg per hr Rotary Kiln (with automatic waste feeding & two second flue gas residence secondary chamber, heat exchanger, droplet separator, venture scrubber, baggon filter, id fan ,chimney.
2	Autoclave	02	01	0.25 m3	250 lit with PLC
3	Shredder	01	01	50 kg per hour	100 Kg per hour with latest technology with automatic conveyour feeding system
4	Effluent Treatment Plant	01	-	10 KLD	15 KLD With pressure flow meter measuring devices.(as per CPCB norms

During presentation, it was submitted by the PP that the unit is located in Antri village and in the nearby area 05-06 other industries are also operating/under construction such as one on the north-east side, (approx. 900 meters away), one on the western side approx 90 meters away and another under construction on SW side approx 200 meters away & NE side approx 800 meters away. The nearest habitation is on SW side approx. 700 meters and eastern side approx 1200 meters. During discussion, it was observed by the committee that PP has not uploaded the copy of previous EC and previous public hearing documents. The certified compliance report issued by MoEF&CC vide letter no. 18-B-170/2019 dated 04/07/22 has stated that issues raised during public hearing are not resolved and thus stated partially complied. PP was asked to submit complete details on this. Simillarly, committee asked PP why monitoring of dioxine & furan, VOC & HC is not carriedout. The proposed expansion is for 250 kg/hr, thus committee asked PP to justify their proposal considering other BMW facilities operating within 75 kms. The online uploaded EIA begins with Chaptor-05 for which PP submitted that during uploading of documents; by mistake part-2 is uploaded first and then part-1which causes such situation. PP submittd that they will again upload the EIA with other details saught by committee. After presentation, PP was asked to submit response on following:

- 1. Copy of previous EC letter with conditions issued by compitent authority.
- 2. Copy of previous public hearing document and compliance status of commitment made in public hearing.
- 3. Justification, why monitoring of dioxine & furan, VOC & HC is not carriedout.
- 4. The proposed site is not in industrial area thus please justify the location criteria as per CPCB guidelines and protection measures proposed considering "Best Available Technology" for all sensitivity features 500 meters.

- 5. The proposed expansion is for 250 kg/hr of incineration, thus justify expansion proposal considering other BMW facilities operating within 75 kms.
- 6. As per from-2 point no. 13-Only DG set fuel details are provided, thus incinerator in CNG operatd. Please justify and provide complete details.
- 7. As per from-2 point no. 16- complete details of proposed RO plant. When the total WW volume is only 3.00 KLD why 15 KLD ETP is proposed?
- 8. Revised CER programme as suggested by committee with time schedule for its completion.
- 9. Revised plantation species as suggested by committee.

प्रकरण आज सेक की 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण आज बैठक कमांक 590वीं दिनांक 26/08/22 एवं पूर्व में 588वीं बैठक दिनांक 16/08/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को 02 प्रस्तुतीकरण के अवसर दिये जाने के बाद भी परियोजना प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित नहीं हुए, जिससे स्पष्ट होता है कि परियोजना प्रस्तावक इस प्रोजेक्ट में पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी कार्यवाही करने में रूचि नहीं ली जा रही है तथा अनावश्यक रूप से प्रकरण को लम्बित रखा जा रहा है । अतः इस प्रकरण को नस्तीबद्ध (Delist) करते हुए सिया को आगामी कार्यवाही हेतु भेजा जाना अनुशंसित है।

9. जिला सर्वेक्षण रिर्पोट - सिंगरौली (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 581 st & 587 th Meeting dated 24.06.2022 & 02.08.2022.
Approved /or	Recommended for DSR Updation
recommend for	
Updation (if	
Updation then	
elaborate issues)	
Deliberation in the	राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 817 दिनांक 22/06/22 के माध्यम
SEAC 581st, 587 th	से सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई
& 589 th Meeting	है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट दिनांक 21/06/22 को, कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सिंगरौली
dated 24.06.2022,	के पत्र कमांक 1731 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सिंगरौली सीघे सेक को

02.08.2022& 17.08.22

प्राप्त हुई थी, जिसकी प्रतिलिपि सिया को दी गई थी। कार्यालय (खनिज शाखा) जिला — सिंगरौली म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1731 दिनांक 01/06/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021—2022 प्रस्तुत की गई है ।

उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/2022 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित की गई । राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सिंगरौली की ओर से श्री ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

- बिन्दु क0. 19 (पेज -80) मे से संबंधित जो जानकारी तालिका क0. 18 मे प्रदाय की गई है इसमें बगडरा वन्य प्राणि अभ्यारण्य की जानकारी संबंधित अधिसूचना के क0. 3028 (अ) दिनांक 13/09/2017 के अनुसार अद्यतन कर लेंवे।
- े तालिका 20 एंव 21 में प्री—पोस्ट मानसून रेत की मात्रा की गणना दर्शायी गयी है परन्तु रेत की मात्रा की गणना करते समय गहराई नहीं बतायी गयी है।
- जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में लीजवार ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
- प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू—वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए।
- ▶ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है उसको संबंधित नक्शों के लीजेंड में भी दिखाया जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए—4 साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए—3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए।
- सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
- सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री ए.के. राय, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर —(खनिज शाखा), जिला सिंगरौली ने म.उंपस दिनांक 31/07/22 ने पत्र कमांक कमांक—1731/खनिज/2022, दिनांक 01/06/2022 के माध्यम से सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 01/08/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में प्रस्तावित की गई।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सिंगरौली की ओर से श्री अशोक कुमार राय, प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित हुए । श्री राय ने अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है । चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गयाः—

- √ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल कमांक—22 (Comparative Study: Pre and Post Monsoon Scenario) में खनिज रेत हेतु "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) दिया गया है परंतु प्रस्तुत टेबल में खनन् योग्य खनिज क्षमता (जिसके आधार पर 60 प्रतिशत माईनिंग पोटेंशियल निकाला गया है) की मात्रा दर्शाना उचित होगा ।
- ✓ प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 116 से 118 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षों में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ।
- ईसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों के को─आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू
 / गूगल अर्थ कम्पेटेवल सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये तािक पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय
 खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की
 जानकारी प्राप्त करने में स्विधा हो ।

चर्चा उपरांत सिमिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खिनज (संशोधित) को सिमित द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री अशोक कुमार राय, खिनज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिंगरौली (रेत खनिज) – श्री अशोक कुमार राय, प्रभारी खनिज अधिकारी –

चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सिंगरौली की ओर से श्री अशोक कुमार राय, प्रभारी खनिज अधिकारी उपस्थित

	हुए । अतएव चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि सिंगरौली एंव जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षो में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गइ है, एंव विगत 03 वर्षो में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है को भी दर्शाया गया है परंतु इसके साथ टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाई जाये तथा किसी क्षेत्र का उत्पादन देखने हेतु यदि विगत 03 वर्षो में उत्खनन् नहीं हुआ तो पूर्व के 05 वर्षो की जानकारी भी प्रस्तुत की जा सकती है। बैठक में उपस्थित श्री अशोक कुमार राय, खिनज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें।
Revised DSR	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Singrauli,
received from District	No. 2297 dated 17.08.2022
Collectorate	
(Mining)	
Hard Copy Soft	Hard copy & Soft copy
Copy or both	
SEAC meeting dated 26/08/22	 सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—28 (में खिनज रेत हेतु "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) दिया गया है। प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल में विगत 03 वर्षों में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबिल क्रमांक—28 पेज न. 116—119 में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26 / 8 / 22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री ए.के. राय, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि उपरोक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— सिंगरौली के पत्र क0 2297, दिनांक 17/08/22 के माध्यम मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु)

मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ सिंगरौली जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

10.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट - बालाघाट

अ – अन्य खनिज (रेत छोडकर)

Mineral	Other then Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 589 th , 587 th ,582 nd ,573th, & 567 th , Meeting dated 17.08.2022, 29.04.2022, 02.08.2022, 29.06.2022 &28.05.22.
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate	Recommended for DSR Updation (Minor Minerals)
issues) Deliberation in the SEAC	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567 वीं बैठक दिनांक 29/04/22 राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 224 दिनांक 24/04/22 के माध्यम से

SEAC 589th, 587th, 587th, 582nd, 573th, &567th, Meeting dated 17.08.2022, 29.04.2022, 02.08.2022, 29.06.2022 &28.05.22.

बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/04/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में प्रस्तावित की गई ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें पाया गया कि:—

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट म.प्र. ने पत्र क्रमांक-620 / खनिज / 2022, दिनांक 25/4/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट 2021-22 का गठित समिति द्वारा अनुमोदन उनकी बैठक दिनांक 20 / 04 / 22 में किया गया है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेत् गिठत समिति के कार्यवाही दिनांक 20/4/22 में उल्लेखित है कि "गिठत समिति के उपस्थित समस्त सदस्यगण / अधिकारीगण के समक्ष जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तैयार प्रारूप 2021–22 की खनिज रेत एवं अन्य खनिजों के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) का अवलोकन / परीक्षण किया गया । पूर्व बैटक दिनांक 25/3/22 को डी.एस.आर. में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई । सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट माईनिंग फॉर सेंड माईनिंग, 2020 गाईड लाईन अनुसार पाये जाने के फलस्वरूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) के प्रारूपों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15/1/18 तथा अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के परिशिष्ट-10 अनुसार कार्यवाही हेर्नु खनिज अधिकारी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर दावां, आपित्त 🖊 अनापत्ति हेत् जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट बालाघाट के कार्यालयीन पत्र क्रमांक 483 दिनांक 25/3/22 एवं जिला सूचना एवं प्रकाशन अधिकारी बालाघाट को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 487 दिनांक 25/3/22 द्वारा स्थानीय स्तर पर इश्तहार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के अंदर, दावा, आपत्ति / अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया गया था जिसके तहत् उक्त के संबंध में आज दिनांक तक तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा, अपत्ति / अनापत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खनिज रेत एवं अन्य खनिजों की तैयार किये जाने के उपरांत स्थानीय स्तर पर किसी भी प्रकार दावा, अपत्ति / अनापत्ति प्राप्त नहीं होने से तैयार की गई । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रारूप को सर्वसम्मति से गठित समिति द्वारा अनुमोदन किया गया"।
- √ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु गठित समिति के कार्यवाही दिनांक 20/4/22 में यह भी उल्लेखित है प्रकाशन अधिकारी बालाघाट को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 487 दिनांक 25/3/22 द्वारा स्थानीय स्तर पर इश्तहार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के अंदर, दावा, आपित्ति/अनापित्त प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया गया था जिसके तहत् उक्त के संबंध में आज दिनांक तक तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा, अपित्त/अनापित्त प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।
- ✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 3581 दिनांक 25/03/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है परंतु बिंदु क्रमांक—30 (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) की जानकारी में बालाघाट जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट किया जाये एवं बिंदु क्रमांक—30 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) उसमें समाहित की जाये।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूँिक बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिले में गिठत समिति द्वारा दिनांक 20/4/22 की बैठक में किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22

समिति चर्चा के दौरान यह अनुशंसा की कि सेक द्वारा पूर्व में जितनी भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमोदन की अनुशंसा की गई है, (जैसे : शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बालाघाट, रायसेन, डिण्डोरी इत्यादि) उन सभी में भी

उपरोक्त जानाकरी शामिल करने हेत् एक पत्र सिया द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को प्रेषित कर दिये जाये ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 845 दिनांक 24/06/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की संशोधित (त्पअमेमक) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—बालाघाट, म.प्र. के पत्र क्रमांक 838 दिनांक 24/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया /सेक कार्यालय मे ऑन लाईन जमा कराई गई। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 27/06/22 को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मृल्यांकन समितिकी 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में बालाघाट जिले की संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामें, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालाघाट के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 जो सेक द्वारा सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश किया है। अभी संबंधित अधिसूचना के तालिका में चाही गई जानकारी के अनुसार खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेबल मिनरल पोटेंशियल " (घनमीटर में) (60: टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) उन्त्यन दिया गया है। अतएव उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना प्रस्तावित है:—

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बालाघाट जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.मे) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थित ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खिनज अधिकारी को भी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 5670ां बैठक दिनांक 29/04/22 एवं 5730ां बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट म.प्र. ने पत्र कमांक-938 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला - बालाघाट (म.प्र). अन्य गौण खनिज ई-मेल के माध्यम से दिनांक 27/07/22 को प्रस्तुत की गई है जिसे समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को ई-मेल से प्रेषित किया गया।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को बालाघाट जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि:—

- 1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—अन्य गौण खनिज पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट अनुसार ही बनाई जाये ।
- 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका–9 (पेज कमांक–34 से 35) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में नहीं है ।

	निर्धारित प्रपत्र के क्रमांक—9 के कॉलम—05, 09, 10, 11, 13, 14, 15 एवं 16 इत्यादि की जानकारी नहीं दी गई हैं । 3. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में हरित क्षेत्र के विकास सिर्फ 39 खदानों में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्व किए गए वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है जबिक खदानों की संख्या लगभग 68 है। समिति की अनुशंसा है कि इस जानकारी को अद्यतन कर लिया जाये तथा सभी संचालित खदानों में हरित क्षेत्र के विकास की जानकारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तुत की जाये। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (रेत खनिज को छोड़कर अन्य
	गौण खिनज) को सिमिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खिनज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Balaghat, No. 988 dated 17.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 26/08/22	 जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—9 (पेज क्र0. 34 से 35) में खदान की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। बालाघाट जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षो में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी (Table 16) पेज— 90 मे दी गई है एंव वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री सोहन सलामे खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

अतएव चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— बालाघाट के पत्र क0 988, दिनांक 17/08/22 के माध्यम लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, पौधों की प्रजातियों की खदानवार मात्रा, जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खिनज) अनुमोदन हेतु

विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. बालाघाट (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 589 th , 587 th ,582 nd ,573th, &567 th , Meeting dated 17.08.2022,
Discussed	29.04.2022, 02.08.2022, 29.06.2022 &28.05.22.
Approved /or	Recommended for DSR Updation (Sand)
recommend for	
Updation (if	
Updation then	
elaborate issues)	
	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 567 वीं बैठक दिनांक 29/04/22
Deliberation in the SEAC 589 th	राज्य राराय भूरवायम रामारा यम ५०म विभाव २५/ ०४/ २२
	राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 224 दिनांक 24/04/22 के माध्यम से
, 587 th ,582 nd	बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त
,573th, &567 th , Meeting dated	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 27/04/22 को प्रेषित की
17.08.2022,	गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्योंकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 में प्रस्तावित की गई ।
29.04.2022,	15 1
02.08.2022,	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक में जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई जिसमें
29.06.2022	पाया गया कि :
&28.05.22.	
	▼ कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट म.प्र. ने पत्र क्रमांक—620 / खनिज / 2022, दिनांक 25 / 4 / 22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट 2021—22 का गितत सिति द्वारा अनुमोदन उनकी बैठक दिनांक 20 / 04 / 22 में किया गया है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु गिठत सिति के कार्यवाही दिनांक 20 / 4 / 22 में उल्लेखित है कि 'गिठत सिति के उपस्थित समस्त सदस्यगण / अधिकारीगण के समक्ष जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तैयार प्रारूप 2021—22 की खिनज रेत एवं अन्य खिनजों के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) का अवलोकन / परीक्षण किया गया । पूर्व बैठक दिनांक 25 / 3 / 22 को डी.एस.आर. में उल्लेखित सभी बिंदुओं पर चर्चा की गई । सस्टेनेबल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाइडलाईन 2016 एवं इनफोर्समेंट माईनिंग फॉर सेंड माईनिंग, 2020 गाईड लाईन अनुसार पाये जाने के फलस्वरूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डी.एस.आर.) के प्रारूपों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 15 / 1 / 18 तथा अधिसूचना दिनांक 25 / 7 / 18 के परिशिष्ट—10 अनुसार कार्यवाही हेतु खिनज अधिकारी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर दावा, आपत्ति / अनापत्ति हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कलेक्ट्रेट बालाघाट के कार्यालयीन पत्र कमांक 483 दिनांक 25 / 3 / 22 एवं जिला सूचना एवं प्रकाशन अधिकारी बालाघाट को कार्यालयीन पत्र कमांक 487 दिनांक 25 / 3 / 22 द्वारा स्थानीय स्तर पर इश्तहार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के अंदर, दावा, आपत्ति / अनापत्ति अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया गया था जिसके तहत् उक्त के संबंध में आज दिनांक तक तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा, अपत्ति / अनापत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया है । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट खिनज रेत एवं अन्य खिनजों की तैयार की गई । जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रक्रप को सर्वसम्मित से गिठित सिमिति द्वारा अनुमोदन किया गया'।
	✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट हेतु गठित समिति के कार्यवाही दिनांक 20/4/22 में यह भी उल्लेखित है प्रकाशन अधिकारी बालाघाट को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 487 दिनांक 25/3/22 द्वारा स्थानीय स्तर पर इश्तहार प्रकाशन दिनांक से 21 दिवस के अंदर, दावा, आपत्ति/अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु लेख किया गया

था जिसके तहत् उक्त के संबंध में आज दिनांक तक तैयार की गई जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के दावा, अपत्ति/अनापत्ति प्राप्त होना नहीं पाया गया है ।

✓ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारी (सिया) के पत्र क्रमांक 3581 दिनांक 25/03/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है परंतु बिंदु क्रमांक—30 (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) की जानकारी में बालाघाट जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है किंतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अपडेट किया जाये एवं बिंदु क्रमांक—30 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) उसमें समाहित की जाये ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि चूँकि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिले में गिठत समिति द्वारा दिनांक 20/4/22 की बैठक में किया जा चुका है अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22

समिति चर्चा के दौरान यह अनुशंसा की कि सेक द्वारा पूर्व में जितनी भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमोदन की अनुशंसा की गई है, (जैसे : शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बालाघाट, रायसेन, डिण्डोरी इत्यादि) उन सभी में भी उपरोक्त जानाकरी शामिल करने हेत् एक पत्र सिया द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को प्रेषित कर दिये जाये ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 845 दिनांक 24/06/22 के माध्यम से बालाघाट जिले की संशोधित (त्पअमेमक) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—बालाघाट, म.प्र. के पत्र क्रमांक 838 दिनांक 24/06/2022 के जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को सिया /सेक कार्यालय मे ऑन लाईन जमा कराई गई। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 27/06/22 को सॉफ्ट कॉपी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समितिकी 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 582 वीं बैठक दिनांक 29/06/22 में बालाघाट जिले की संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालाघाट के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 जो सेक द्वारा सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश किया है। अभी संबंधित अधिसूचना के तालिका मे चाही गई जानकारी के अनुसार खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेबल मिनरल पोटेंशियल " (घनमीटर में) (60: टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) उन्न्यन दिया गया है। अतएव उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना प्रस्तावित है:—

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि बालाघाट जिले में हिरत क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी नहीं दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी भी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.मे) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी को भी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि वे पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 567वीं बैठक दिनांक 29/04/22 एवं 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में में की गई अनुशंसानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बालाघाट म.प्र. ने पत्र क्रमांक-938 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला बालाघाट (म.प्र.)-3न्य गौण खनिज ई-मेल के माध्यम से दिनांक 27/07/22 को प्रस्तुत की गई है जिसे समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को ई-मेल से प्रेषित किया गया।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को बालाघाट जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, बालाघाट की ओर से श्री सोहन सलामे, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :--

प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट / तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल क्रमांक 15 एवं 16 में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एवं चौडाई के साथ नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।

प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 86 एवं 87 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षों में उत्खिनित रेत की मात्रा खदानवार भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ।

खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये तािक पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।

चर्चा उपरांत सिमित की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला बालाघाट (रेत खिनज) को सिमित द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री सोहन सलामे, खिनज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22.

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बालाघाट - श्री सुरेश कुलस्ते, खनिज निरीक्षक -

जिले की संशोधित बालाघाट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया कि -

जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तालिका 26 पेज न0. 90 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है परन्तु विगत 03 वर्षों के उत्खिनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल नहीं दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।

मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये ।

	चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई विगत 03 वर्षों में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है साथ ही टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । बैठक में उपस्थित श्री सुरेश कुलस्ते, खिनज निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खिनज) को अद्यतन कर प्रस्तुत करें ।
Revised DSR	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Balaghat, No.
received from	987 dated 17.08.2022
District	
Collectorate	
(Mining)	
Hard Copy Soft	Hard copy & Soft copy
Copy or both	
SEAC meeting dated 26/08/22	 जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे तालिका कृ0 26 पेज न0. 90 में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है एवं विगत 03 वर्षों के उत्खनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों मे कितना रहा। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री सोहन सलामे खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि उपरोक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— बालाघाट के पत्र 987 दिनांक 17/08/22 के माध्यम सिमनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में

आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ बालाघाट जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

11.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट - धार

अ. रेत खनिज

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 573th 581 st & 587 th Meeting dated 28.05.2022, 24.06.2022 & 02.08.22
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Sand)
Deliberation in	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22

the SEAC 573th 581st & 587th Meeting dated 28.05.2022 , 24.06.2022 & 02.08.22 राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 472 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है कि जिला कलेक्टर, धार की अनुशंसा उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप संभागीय समिति की अनुशंसा एवं जिला पोर्टल पर 21 दिन की कार्यवाही पूर्ण कर सेक समिति के परीक्षण एवं सिया कार्यालय अनुमोदन हेतु प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार म.प्र. ने पत्र कमांक-774/खनिज/2022-23, दिनांक 23/05/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि एमपी सिया द्वारा दिनांक 20/05/2022 को किये गये मेल पिरेप्रेक्ष्य में, दिये गये निर्देश के पालन में, सम्पूर्ण डीएसआर पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये, संपूर्ण खदानों का मौका पंचनामा प्रतिवेदन तथा निवेदन है कि ई.सी में दिये गये निर्देशों के पालन में स्वीकृत खदानों पर नियमानुसार प्लांटेशन करवाया जाना शुनिश्चित किया जावेगा ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, धार की ओर से श्री राज गुप्ता, प्रभारी खनेज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

चर्चा के दौरान श्री राज गुप्ता, प्रभारी खनेज अधिकारी बताया कि इस जिला सर्वेक्षण का अनुमोदन शासन द्वारा गितित समिति द्वारा किया गया है जिसकी सूचना कलेक्टर, जिला धार को उनके पत्र क्रमांक 543 दिनांक 13/4/22 के द्वारा दी गई थी, जिसकी प्रति प्रेषित की जा रही है तथा इसको आमजन की सूचना हेतु 21 दिन तक जिला पोर्टल धार पर उपलब्ध कराय गया था एवं इस दौरान कोई अभी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु कमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धार जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है । परंतु कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 117 टेबिल कमांक—33 में खिनज रेत हेतु "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुसार दिया जाना आवश्यक है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री श्री राज गुप्ता, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा उनको यह भी अवगत कराया गया कि अन्य जिलों की जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया द्वारा अनुमोदित की गई हैं, उनका अध्ययन कर धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतू प्रेषित हैं ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र कमांक 793 दिनांक 20/06/22 के माध्यम से धार जिले की संशोधित (त्पअमेमक) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में धार जिले की संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खनिज विभाग धार की ओर से श्री मोहन सिंग खतेडीया, खनिज अधिकारी उपस्थित हुये जिसमें पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट धार के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 573वीं बैठक में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः नहीं हुआ है । अभी भी संबंधित अधिसूचना के तालिका में चाही गई जानकारी के अनुसार खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल '' (धनमीटर में) (60: टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है। अतएव उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना प्रस्तावित है:

- √ बिन्दु कृ0. 1(3) मे रेत खनन के मामले मे लीज की वैद्यता नही दर्शायी गयी है।
- √ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे [¥] की कोई भी जानकारी नहीं दर्शायी जबकि डाइनासोर राष्ट्रीय उद्यान 'एव्य 2669 ;+) दिनांक 17/08/2017 चूंकि [¥] जिलों का एंव महम्वपूर्ण संवेदनशील घटक है अतएव इसका वर्णन जिसमें विस्तार एंव सीमाएं एंव [¥] मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन होना अनिवार्य है।
- √ पेज नम्बर 100 में खोदु—भरू खदानों में रेत की उपलब्धता, गणना करने में उपलब्ध क्षेत्र के विरूद्ध काफी कम मात्रा में परिलक्षित हो रही है।
- √ पेज 110 मे रेत की मात्रा गणना करने के समक्ष गहराई नही दर्शायी गयी है।
- √ रेत की उपलब्धता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में बतायी गयी तालिका के अनुसार नहीं बनायी गयी है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंग, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेत् प्रेषित हैं।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 एवं 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने ई—मेल दिनांक 29/07/2022 (कार्यालय कलेक्टर —(खनिज शाखा), जिला धार म.प्र. ने पत्र कमांक 1104/खनिज/2022—23 दिनांक 27/07/22) के माध्यम से धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 30/06/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार म.प्र. ने पत्र क्रमांक 1104/खनिज/2022–23 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 एवं 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/07/22 में धार जिले की जिला सर्वेक्षण

रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, धार की ओर से श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी उपस्थित हुए । श्री खतेड़िया ने अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है । चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :—

- इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल कमांक निरंक (Pre and Post Monsoon Scenario) में खिनज रेत हेतु 'माइनेवल मिनरल पोटेंशियल' (घनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार जानकारी प्रस्तुत की गई है किंतु यह जानकारी लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ दिया जाना चाहिए ।
- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका क्रमांक—26 में विगत 03 वर्षों में उत्खिनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ?
- इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों के को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट धार (रेत खनिज) – श्री मोहन सिंग, प्रभारी खनिज अधिकारी –धार जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज एवं अन्य गौण खनिज हेत् प्रस्तूत की गई।

जिले की संशोधित धार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे पाया कि –

- ✓ नवीन धार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका कमांक 27 पेज न.104 में लंबाई, चौडाई, एवं गहराई के साथ रेत की उपलब्ध मात्रा दर्शायी गई है साथ पेज न. 144 में दर्शायी गई तालिका में मोका पर निरीक्षण अनुसार रेत खनिज की उपलब्ध मात्रा का भी उल्लेख किया गया है । परन्तु विगत् 03 वर्षो में उल्लेखित रेत की खदानवार मात्रा का उल्लेख नही है । जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा । साथ ही टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में भी दर्शाये । चर्चा के दौरान उपस्थित श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई । इसी के साथ−साथ यह भी चर्चा के दौरान पाया गया कि रेत का माईनेवल पोटेशियल बहुत अधिक आ रहा हैं जबिक उसके विरूद्ध मात्रा बहुत कम है, जिसके संदर्भ में उपस्थित खनिज अधिकारी द्वारा बताया गया कि यह प्लेजर डिपोजिट है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में रेत के साथ बोल्डर मिक्स होते है तथा उनको छानकर रेत निकालनी पड़ती है जिसमें उपलब्ध मात्रा का मात्र 20 से 25 प्रतिशत तक ही रेत होती है । अतः सिमिति ने यह निर्देशित किया कि संबंधित खनिज अधिकारी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट फेरतुत करें तथा रिजनल डायरेक्टर इंदौर से प्रमाणीकरण प्राप्त कर, पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
- √ उपस्थित श्री मोहन सिंग, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा
 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के
 निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर प्रस्तुत करें।

Revised District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Dhar, No. 1172 dated 18.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy.
SEAC meeting dated 26/08/22	 धार जिले मे माइनेबल मिनरल पोटेंशियल बहुत आ रहा था जबिक इसके विरुद्ध रेत की मात्रा बहुत कम थी जिसके संदर्भ मे खनिज अधिकार, धार द्वारा बताया गया कि यह प्लेजर डिपोजिट है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में रेत के साथ बोल्डर मिक्स होते है तथा जिसको छानकर रेत निकालनी पड़ती है जिसमें रेत की मात्रा 20 से 25 प्रतिशत तक ही रेत होती है। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबिल कमांक—35 (पेज न. 125—127) में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। एवं विगत 03 वर्षों के उत्खिनत रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल दिया गया है। जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री मोहन सिंह खतेडिया खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

धार जिले की संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) मे माइनेबल मिनरल पोटेंशियल बहुत अधिक आ रहा था जबकि इसके विरूद्ध रेत की मात्रा बहुत कम थी जिसके संदर्भ मे खनिज अधिकार, धार द्वारा बताया गया कि यह प्लेजर डिपोजिट है, जिसमें अत्यधिक मात्रा में रेत के साथ बोल्डर मिक्स होते है तथा जिसको छानकर रेत निकालनी पड़ती है जिसमें रेत की मात्रा 20 से 25 प्रतिशत तक ही रेत होती है तथा इस हेतु जिला खनिज अधिकारी द्वारा एक जस्टीफिकेशन रीजनल डायरेक्टर, इंदौर से प्रमाणीकरण कराकर जमा कर डी.एस.आर. के साथ जमा कराया गया है। अतएव चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खनि. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खनिज शाखा) जिला— धार ने पत्र क्रमांक 1172 / खनिज / 2022—23 दिनांक 18 / 07 / 22 मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरुद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

ब. अन्य खनिज (रेत छोडकर)

3.4:	
Mineral	Other Minor Minerals
Earlier DSR	SEAC 573th 581 st & 587 th Meeting dated 28.05.2022, 24.06.2022 & 02.08.22
Discussed	
Approved /or	Recommended for DSR Updation (Other Minor Minerals)
recommend for	1
Updation (if	
Updation then	
elaborate	
issues)	
Deliberation in	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22
the SEAC 573th	राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 472 दिनांक 20/05/22 के माध्यम से
, 581 st dated	राज्य स्तराय पर्यावरण समाधात निधारण प्रााधकारण (सिया) न पत्र कुमाक ४७२ दिनाक २०७ ७५/२२ के माध्यम स धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मुल्यांकन समिति के परीक्षण हेत् भेजी गई है जिसमें यह
24.06.2022 &	उल्लेखित है कि जिला कलेक्टर, धार की अनुशंसा उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट उप संभागीय समिति की अनुशंसा
587th Meeting	एवं जिला पोर्टल पर 21 दिन की कार्यवाही पूर्ण कर सेक समिति के परीक्षण एवं सिया कार्यालय अनुमोदन हेत्र प्राप्त
dated	हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 20/05/22
28.05.2022 &	(सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक
02.08.22	28/05/22 में प्रस्तावित की गई ।
1	

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार म.प्र. ने पत्र कमांक-774/खनिज/2022-23, दिनांक 23/05/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि एमपी सिया द्वारा दिनांक 20/05/2022 को किये गये मेल परिप्रेक्ष्य में, दिये गये निर्देश के पालन में, सम्पूर्ण डीएसआर पर जिला खनिज अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये, संपूर्ण खदानों का मौका पंचनामा प्रतिवेदन तथा निवेदन है कि ई.सी में दिये गये निर्देशों के पालन में स्वीकृत खदानों पर नियमानुसार प्लांटेशन करवाया जाना शुनिश्चित किया जावेगा ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, धार की ओर से श्री राज गुप्ता, प्रभारी खनेज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

चर्चा के दौरान श्री राज गुप्ता, प्रभारी खनेज अधिकारी बताया कि इस जिला सर्वेक्षण का अनुमोदन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया गया है जिसकी सूचना कलेक्टर, जिला धार को उनके पत्र कमांक 543 दिनांक 13/4/22 के द्वारा दी गई थी, जिसकी प्रति प्रेषित की जा रही है तथा इसको आमजन की सूचना हेतु 21 दिन तक जिला पोर्टल धार पर उपलब्ध कराय गया था एवं इस दौरान कोई अभी दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं हुए ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु कमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि धार जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है । परंतु कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 117 टेबिल कमांक—33 में खनिज रेत हेतु ''माइनेवल मिनरल पोटेंशियल'' (धनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/7/18 के अनुसार दिया जाना आवश्यक है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री श्री राज गुप्ता, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा उनको यह भी अवगत कराया गया कि अन्य जिलों की जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सिया द्वारा अनुमोदित की गई हैं, उनका अध्ययन कर धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 793 दिनांक 20/06/22 के माध्यम से धार जिले की संशोधित (त्पअमेमक) जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, समिति के सदस्यों को दिनांक 20/06/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में प्रस्तावित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमति की 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में धार जिले की संशोधित रिपोर्ट पर चर्चा की गयी। चर्चा के दौरान खिनज विभाग धार की ओर से श्री मोहन सिंग खतेडीया, खिनज अधिकारी उपस्थित

हुये जिसमें पाया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट धार के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 573वीं बैठक में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः नहीं हुआ है । अभी भी संबंधित अधिसूचना के तालिका में चाही गई जानकारी के अनुसार खिनज रेत हेतु लीजवार " माइनेबल मिनरल पोटेंशियल " (धनमीटर में) (60: टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है। अतएव उपरोक्त जानकारी के अतिरिक्त निम्न जानकारी को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में भी समाहित किया जाना प्रस्तावित है:

- √ बिन्दू कृ0. 1(3) मे रेत खनन के मामले मे लीज की वैद्यता नही दर्शायी गयी है।
- √ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे [¥] की कोई भी जानकारी नहीं दर्शायी जबकि डाइनासोर राष्ट्रीय उद्यान (प्ल्ण 2669 ;म) दिनांक 17/08/2017 चूंकि [¥] जिलों का एंव महम्वपूर्ण संवेदनशील घटक है अतएव इसका वर्णन जिसमें विस्तार एंव सीमाएं एंव [¥] मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन होना अनिवार्य है।
- √ पेज नम्बर 100 मे खोदु—भरू खदानों मे रेत की उपलब्धता, गणना करने मे उपलब्ध क्षेत्र के विरूद्ध काफी
 कम मात्रा मे परिलक्षित हो रही है।
- √ पेज 110 मे रेत की मात्रा गणना करने के समक्ष गहराई नही दर्शायी गयी है।
- √ रेत की उपलब्धता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में बतायी गयी तालिका के अनुसार नहीं बनायी गयी है।

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि देवास जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंग, प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 एवं 581वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने ई—मेल दिनांक 29/07/2022 (कार्यालय कलेक्टर —(खनिज शाखा), जिला धार म.प्र. ने पत्र कमांक 1104/खनिज/2022—23 दिनांक 27/07/22) के माध्यम से धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज (संशोधित) राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 30/06/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22 में प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला धार म.प्र. ने पत्र कमांक 1104/खनिज/2022–23 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रिपोर्ट इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 एवं 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, जनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/07/22 में धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, धार की ओर से श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी उपस्थित हुए । श्री खतेड़िया ने अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 581 वीं बैठक दिनांक 24/06/22 में जो सेक द्वारा सुझाव दिये गये थे, उनका समावेश पूर्णतः कर लिया गया है । चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेत् निर्देशित किया गया :—

🕨 इसी प्रकार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक – निरंक (Pre and Post Monsoon Scenario)

	में खनिज रेत हेतु "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (घनमीटर में) (६० प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार जानकारी प्रस्तुत की गई है किंतु यह जानकारी लम्बाई एवं चौड़ाई के साथ दिया जाना चाहिए । प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका क्रमांक—26 में विगत 03 वर्षो में उत्खिनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ? इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों के को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल — सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
	चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रेत खनिज (संशोधित) को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री मोहन सिंह खतेड़िया, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट धार (रेत खनिज) – श्री मोहन सिंग, प्रभारी खनिज अधिकारी <i>–धार जिले की नवीन</i> जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज एवं अन्य गौण खनिज हेतु प्रस्तुत की गई।
	जिले की संशोधित धार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खनिज) मे पाया कि —
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे डाइनासोर राष्ट्रीय उद्यान (ESZ की जानकारी दर्शा दी गई है एंव ESZ मे आ रहे गांवो का नाम का समायोजन भी किया गया है ।
	जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल कमांक—5 (पेज क0. 34 से 49) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है। धार जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी दी गई है एंव वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।
Revised District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Dhar, No. 1172 dated 18.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 26/08/22	 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में डाइनासोर राष्ट्रीय उद्यान (ESZ की जानकारी दर्शा दी गयी है एंव ESZ में आ रहे गांवों का नाम का समायोजन भी किया गया है । जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—5 (पेज क्0. 34 से 49) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में दे दी गई है। धार जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षी में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी दी गई है

एंव वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।

- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल क्रमांक—9 (पेज क्रo. . 34 से 35) की जानकारी निर्धारित प्रपत्र मे दे दी गई है।
- धार जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या एंव प्रजातियों की जानकारी (Table 16) पेज— 90 मे दी गई है एंव वृक्षारोपण में फोटोग्राफ्स का भी समावेश किया गया है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री मोहन सिंह खतेडिया खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

अतएव चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— धार खिन. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— धार ने पत्र क्रमांक 1172 /खिनज/2022—23 दिनांक 18/07/22 लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी, संख्या, पौधों की प्रजातियों की खदानवार मात्रा, जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है। अतः सिनति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ धार जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (गौण खिनज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये।

12. जिला सर्वेक्षण रिपीट – डिंडोरी (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 589 th , 587 th , 573th & 572 th Meeting dated 17.08.22, 02.08.2022,
Discussed	28.05.2020 & 19.05.2022
Approved /or	Recommended for DSR Updation (Sand)
recommend for	
Updation (if	
Updation then	
elaborate	
issues)	
Deliberation in	राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 398 दिनांक 13/05/22 के माध्यम से
the SEAC 589 th	डिंडोरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 17/05/22 (सॉफ्टकापी) को
, 587 th , 573th &	जिला संवेक्षण रिपार, राज्य स्तराय विशवज्ञ मूल्यांकन सामात के सदस्या का दिनांक 17/05/22 (सापटकापा) की प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में

572th Meeting dated 17.08.22, 02.08.2022, 28.05.2020 & 19.05.2022

प्रस्तावित की गई ।

कार्यालय (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी म.प्र. ने पत्र कमांक-70/खनि/2022, दिनांक 12/05/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर को अपलोड किया गया था तथा 21 दिन के भीतर कोई टिप्पणी/सुझाव/अभिमत प्राप्त नहीं हुए थे । इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति की बैठक दिनांक 07/4/22 में किया गया ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में डिंडोरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान खनिज विभाग, डिंडोरी की ओर से श्री हितेश बिसेन, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :--

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमंक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से डिंडोरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक—26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि डिंडोरी जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये हैं । परंतु कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है तथा कुछ में नहीं दी गई है जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जब भी अद्यतन किया जाये उपरोक्त जानकारियों को समाहित किया जाये ।

चर्चा उपरांत सिमिति की यह अनुशंसा है कि डिंडोरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गिठत सिमिति (बैठक दिनांक 07/04/22 में) द्वारा किया जा चुका है । अतः सिमिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ डिंडोरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेपित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22

समिति चर्चा के दौरान यह अनुशंसा की कि सेक द्वारा पूर्व में जितनी भी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अनुमोदन की अनुशंसा की गई है, (जैसे : शिवपुरी, छिंदवाड़ा, छतरपुर, बालाघाट, रायसेन, डिण्डोरी इत्यादि) उन सभी में भी उपरोक्त जानाकरी शामिल करने हेतु एक पत्र सिया द्वारा संबंधित जिले के कलेक्टरों को प्रेषित कर दिये जाये तािक इन जिलों के प्राप्त होने वाले रेत संबंधित प्रकरणों के पर्यावरणीय अभिस्वीकृति के प्रकरणों में निर्णय लेने में सुविधा हो सके।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति की 572वीं बैठक दिनांक 19/05/22 में एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमिति की 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसानुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिंडोरी म.प्र. पत्र क्रमांक 209 दिनांक 28/07/22 के माध्यम से जिला डिंडोरी की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) सुधार कर अनुमोदन हेतु प्रेषित की है।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को डिंडोरी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, डिंडोरी की ओर से श्री हितेश कुमार बिसेन, खनि अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :—

- 1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 49 पर दर्शित तालिका के प्रथम लीज मूसमुंडी रायत-1 एवं अंतिम लीज बुंडर में प्रस्तुत ऑकड़ों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस स्थल पर सेंड रिप्लेनिशमेंट नहीं /बहुत कम हो रहा है, क्योंकि प्री-मानसून एवं पोस्ट मानसून मात्रा लगभग एक जैसी दर्शित है, अतः प्नः जॉच लिया जाये ।
- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 71 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षों में उत्खिनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ।

	चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला डिंडोरी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री हितेश कुमार बिसेन, खिन अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22
	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट डिंडोरी (रेत खनिज) – श्री हितेश कुमार बिसेन, प्रभारी खनिज अधिकारी
	प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित प्रभारी खनिज अधिकारी को यह बताया गया कि मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट दर्शा कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की जावे ।
Revised District	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Dindori, No. 249
Collectorate (dated 17.08.2022
Mining)	
Hard Copy Soft	Hard copy & Soft copy
Copy or both	
SEAC meeting	
dated 26/08/22	 प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, डिण्डोरी के पेज न0. 49 में दर्शित तालिका में वर्ष 2000 एंव 2021 प्री—मानसून एंव पोस्ट मानसून मात्रा प्रदर्शित की है, इस तालिका में अतिरिक्त टीप मे यह बताया गया है, कि उपरोक्त दो वर्ष के लिये ही रिप्लेनिशमेंट स्टडी की गयी थी बुधगांव -राम खदान चूँिक व्यवसायिक उपयोग हेतु नही है। अतः इस लीज की रिप्लेनिशमेंट स्टडी नहीं की गयी है। प्रस्तुत डी.एस.आर. के पेज न0. 71 में विगत तीन वर्षों में उत्खनित रेत जिन खदानों की रिप्लेनिशमेंट स्टडी की गयी थी उनकी मात्रा भी दर्शायी गयी है। पेज न0. 71 में मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री हितेश विसेन खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

डिण्डोरी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खनिज में समिति द्वारा सुझाई गई 03 वर्षी में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गई है, एंव विगत 03 वर्षी में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी पोटेंशियल विगत 03 वर्षी में कितना रहा है को भी दर्शाया गया है। तथा खिन. अधिकारी,कार्यालय कलेक्टर, (खिनज शाखा) जिला— डिण्डोरी के पत्र क0 249 दिनांक 17/08/22 के माध्यम मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरुद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ डिंडोरी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

13.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट - रायसेन (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 589 th , 587 th & 570th Meeting dated 17.08.22, 02.08.2022 & 17.05.2022
Discussed	
Approved /or recommend for Updation (if	Recommended for DSR Updation (Sand)
Updation then elaborate issues)	
Deliberation in the SEAC 589 th , 587 th & 570th Meeting dated 17.08.22, 02.08.2022 & 17.05.2022	राज्य स्तरीय मूल्यांकन सिमित की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र कमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित के परीक्षण हेतु भेजी गई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित के सदस्यों को दिनांक 04/05/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन सिमित की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 में प्रस्तावित की गई । कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र कमांक—297/खनिज/2022, दिनांक 09/05/22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में टंकण त्रुटि होने के कारण पृष्ठ कमांक—67, 68, 69, 71, 72 एवं 73 में सुधार कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न करने हेतु प्रेषित किया है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 में रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, चर्चा के दौरान खनिज विभाग, रायसने की ओर से श्री राजीव निगम, खनिज निरीक्षक उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :--

- ✓ कार्यालय (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र कमांक−297 / खनिज / 2022, दिनांक 09 / 05 / 22 के माध्यम से अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में टंकण त्रुटि होने के कारण सुधार कर पुनः जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में संलग्न करने हेतु प्रेषित किया है तथा अवगत कराया है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजनों के सुझाव हेतु उसे पोर्टल पर उपलब्ध कराया गया था जिसमें 03 व्यक्तियों के सुझाव प्राप्त हुए थे जिनका समायोजन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में किया गया है।
- √ राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण (सिया) ने पत्र क्रमांक 318 दिनांक 05/05/22 के माध्यम से रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अनुसार अधिकांश जानकारियाँ समाहित की गई है बिंदु क्रमांक−26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है, के अवलोकन से ज्ञात होता है कि रायसेन जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु प्रस्तावित पौधों की प्रजातियों की जानकारी दी गई है तथा पूर्व के वर्षों में लीज धारकों द्वारा किये गये वृक्षारोपण की जानकारी की तालिका एवं फोटोग्राफ प्रस्तुत किये है । परंतु कुछ संचालित खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी दी गई है तथा कुछ में नहीं दी गई है जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए । अतः समिति का सुझाव है कि इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन किया जाये उसमें बिंदु क्रमांक−30 की जानकारी (एमओईएफ नोटिफिकेशन, 25/07/2018 के अनुसार बिंदु क्रमांक 26) सभी संचालित खदानों बावत समाहित की जाये ।

चर्चा उपरांत सिमिति की यह अनुशंसा है कि रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित सिमिति (बैठक दिनांक 29/04/22 में) द्वारा किया जा चुका है । अतः सिमिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओं के साथ रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है तथा प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02/08/22

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित की 570वीं बैठक दिनांक 11/05/22 एवं 573वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में की गई अनुशंसाओं के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र 841 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से रायसेन जिले की संशोधित — रेत खनिज जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित के परीक्षण हेतु भेजी गई है। उक्त संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, सिमित के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 को सॉफ्टकापी प्रेषित की गई तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 में प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला रायसेन म.प्र. ने पत्र 1841 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से अवगत कराया है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रायसेन के संबंध में इसके पूर्व राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 573 वीं बैठक दिनांक 28/05/22 में जो सुझााव दिये गये थे, उनका समावेश रेत खनन के मामलें मे कर लिया गया है ।

चर्चा के दौरान खिनज विभाग, रायसेन की ओर से श्री राजीव कदम, खिनज निरीक्षक ऑनलाईन उपस्थित हुए चर्चा के दौरान सिमित ने पाया कि प्रस्तुत संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत खिनज हेतु है, जिसमें पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप जानकारियों को अद्यतन कर प्रस्तुत किया गया हैं । सिमिति ने पाया कि रायसेन जिले की यह संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खिनज) पूर्व में जिला सिमिति से अनुमोदित है तथा 21 दिवस तक जिले के पोर्टल पर दावा/आपित्त हेतु रखी जा चुकी है । सिमिति ने पाया कि सिमिति द्वारा पूर्व की बैठकों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सुधार हेतु जो सुझाव दिये गये थे की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में सुधार कर संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खिनज) प्रस्तुत की गयी है। चर्चा उपरांत निम्न संशोधन हेतु निर्देशित किया गया :—

	1. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं. 66 से 68 पर दी गई तालिका में विगत 03 वर्षो में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है। चर्चा उपरांत सिमिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला रायसेन को सिमिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री राजीव कदम, खिन निरीक्षक को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें। तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन सिमिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22
	खनिज अधिकारियों से चर्चा के दौरान जिला रायसेन, भोपाल एवं सीधी के खनिज अधिकारी (जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में सूचीबद्ध नहीं थी) भी चर्चा में आमंत्रित किये गये थे तािक लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वे अपनी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर सके । इस दौरान खनिज अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान उठाये गये प्रश्नों पर भी चर्चा की गयी एंव उनका शंका समाधान भी किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी को भी सिमिति ने निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर भी जिले के सभी खनिज अधिकारियों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रस्तुत करें तािक बार—बार संशोधनों की आवश्यकता न पड़े।
Revised District Collectorate (Mining)	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Raisen, No. 931 dated 17.08.2022
Hard Copy Soft Copy or both	Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 26/08/22	 प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, रायसेन के तालिका 20 , पेज न0. 65–68 में दर्शित तालिका मे मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल में विगत 03 वर्षों में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका 20 , पेज न0. 65–68 में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिपोंटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री राजीव कदम खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

समिति की चर्चा में पाया कि रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमित्रत कर इनका अनुमोदन जिले में गिठत समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— रायसेन पत्र 931 दिनांक 17/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ रायसेन जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

14. जिला सर्वेक्षण रिपीट – उमरिया (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR	SEAC 579 th Meeting dated 17.06.22
Discussed	
Approved /or	Recommended for DSR Updation (Sand)
recommend for	
Updation (if	
Updation then	

	T
elaborate	
issues)	
Deliberation in	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22
the SEAC 579 th Meeting dated 17.06.22	राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण (सिया) ने पत्र क्रमांक 756 दिनांक 10/06/22 के माध्यम से उमिरया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित के परीक्षण हेतु भेजी गई है जिसमें यह उल्लेखित है, कि जिला कलेक्टर, उमिरया के उप संभागीय सिमित की अनुशंसा एंव जिला पोर्टल पर 21 दिन की कार्यवाही पूर्ण कर एस.ई.ए.सी. सिमित के परीक्षण एंव सिया कार्यालय को प्रतिलिपि प्राप्त हुई है। उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन सिमित के सदस्यों को दिनांक 13/06/22 (सॉफ्टकापी) को ई—मेल द्वारा प्रेषित की गई थी। कार्यालय कलेक्टर (खिनज शाखा) जिला—उमिरया के पत्र क्रमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त हुई इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि इस जिला खिनज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन गठित सिमित द्वारा किया गया है।
	राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/22 में उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई । चर्चा के दौरान खनिज विभाग, उमरिया की ओर से सुश्री फरहत जहाँन, प्रभारी खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :—
	 कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—उमिरया के पत्र कमांक 1112 दिनांक 02/06/2022 के माध्यम से प्राप्त इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट को जिला पोर्टल पर 21 दिन हेतु रखा गया अथवा नहीं तथा इस दौरान प्राप्त हुए सुझावों/आपित्तयों के निराकरण बावत की गई कार्यवाही के विवरण उपलब्ध नहीं है । इसी प्रकार इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन कब जिला स्तरीय सिमित ने किया, उसका विवरण भी शामिल किया जाना चाहिए । अध्याय आठ मे पारिस्थितिकी संवेदी झोन (इको सेंसीटिव जोन) बांधवगढ राष्ट्रीय उद्यान एंव पनपथा अभ्यारण के विवरण के साथ─साथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा जारी अधिसूचना क0. 4027 (अ) दिनांक 13/12/2016 की जानकारी भी शामिल की जाना प्रस्तावित है । चूँिक सम्पूर्ण उमिरया जिला गंगा नदी तंत्र का भाग है जिसमें सोन, महानदी तथा जोहिला नदी आदि प्रमुख नदी तथा कई सारी सहायक नदियां जैसे केवई, कटना, केशर , कुनूख, चंडी, तिपन, मुडना आदि स्थित है । अतः राज्य /जिले के मतस्य पालन विभाग से अथवा अन्य संबंधित विभाग/विश्वविद्यालय द्वारा घोषित यदि कोई नदी/घाटी का क्षेत्र एक्वाकल्चर जलचरों से संवेदन शील हो तो ऐसे स्थानों को भी चिन्हित कर विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करना चाहिये तथा यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि चिन्हित Critical aquatic habitat के अप─स्ट्रीम एंव डाउन─स्ट्रीम में सुरक्षित दूरी छोड़कर ही रेत की लीज को अनुमोदन दिया जावें । इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये कई नक्शों के विवरण पढ़ने योग्य नही है (जैसे : पेज 60 पर प्रस्तुत नक्शा) अतएव इसे बड़े स्केल में अलग से संलग्न किया जावें । इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अध्ययाय 12 मे जिले मे विद्यमान रेत खनिज के स्वीकृत खनन पट्टों की सूचि में रेत की उपलब्धता का आधार पर स्पष्ट नहीं है । जैसे : कुमांक─1 पर
	उल्लेखित मानपुर गोबर्दे खदान का कुल रकबा 20 हे. तथा मात्रा 39,00,000 घनमीटर का आधार क्या है, इसी प्रकार कमांक−2 मानपुर मोहबाला खदान का रकबा भी 20 हे. है किंतु मात्रा 2,22,925 घनमीटर दशाई गई है । इस प्रकार एक ही क्षेत्रफल वाली दो खदानों में रेत की मात्रा में इतना अंतर क्यों, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। इसी प्रकार प्रत्येक रेत खनन् हेतु स्वीकृत लीज में कितनी गहराई तक खनन् किया जाना प्रस्तावित है, उसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए। ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 71 के संलग्नक−3 मे खनन योग्य खनिज क्षमता मीट्रिक टन में कुल खनिज क्षमता का 60 प्रतिशत कॉलम की गणना ठीक नहीं है, अतः इसका पुनरावलोकन कर सही मात्रा प्रस्तुत की जाये। ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 89−92 में दी तालिका का पुनरावलोकन 60 प्रतिशत माइनेवल पोटेंशियल के साथ जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिए। ✓ इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 93 के दर्शायी गयी टेबिल मे ऐसे क्षेत्रों की सूची/चिन्हित की गयी है जहां पर पर्यावरण की दृष्टि से खनन संभव नहीं है इस टेबल मे रिमार्क के

कालम में कारण को दर्शाया कि किस वजह से खनन कार्य संभव नहीं है का पर्यावरण संवेदी का कौन

सा घटक प्रभावित हो रह है तो यह टेबल ओर भी सारगर्भित होगी।

	इस जिला खिनज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज 100 मे दर्शायी गयी टेबल मे रेत खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों को वन संरक्षित एवं वन आदि से दूरी इंगित की गयी है। इस टेबल में ईको सेंसेटिव जोन
	अधिसूचना, बांधवगढ़ एंव पनपथा से भी दूरी को उल्लेखित किया जाये ।
	इस जिला खनिज रेत सर्वेक्षण रिपोर्ट के संलग्नक—छः (पेज—७३) में जानकारी लीजवार राष्ट्री राष्ट्र
	(स्वीकृत) प्रस्तुत की जाना चाहिए जिसमें उपलब्ध रेत की मात्रा, रिप्लेनिशमेंट मात्रा, स्वीकृत क्षेत्र,
	स्वीकृत गहराई को आधार मानते हुए गणना कर उसकी 60 प्रतिशत मात्रा उल्लेखित की जाना चाहिए
	√ जिले में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन
	किया जाना चाहिए । साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको
	भी अंकित किया जाना चाहिए ।
	🗸 इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू
	/ गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय
	खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की
	जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।
	✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रदर्शित नक्शों में जो भी फीचर्स दिखाया जाता है (अध्याय छः पेज न0. – 36 में दर्शाये गये नक्शें एंव अध्ययाय ७ पेज न0. 49) उसको संबंधित नक्शें के लीजेंड में भी दिखाया
	जाना चाहिए एवं नक्शों का स्केल ऐसा होना चाहिए कि समस्त फीचर स्पष्ट दिख सके । यदि ए-4
	साईज में नक्शें नहीं आ पा रहे हो तो ए–3 साईज में नक्शों को बनाना चाहिए ।
	√ सिमिति ने संबंधित जिलों के खिनज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान
	रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि
	जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो
	खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।
	√ सिमिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खिनज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से
	राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।
	 चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई
	उपरोक्त अनुशांसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन
	एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की
	जाये । ऑन लाईन उपस्थित सुश्री फरहत जहांन, प्रभारी खेनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईंश दी
	गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के
	निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य
Daviged District	स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
Revised District	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Umaria, No. 1362 detect 16.08.2022
Collectorate	1362 dated 16.08.2022
(Mining)	Hard copy & Soft copy
	Traid copy & Soft copy
Copy or both	
SEAC meeting dated 26/08/22	 प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, उमारिया के तालिका क्रमांक — निरंक पेज न0.
uateu 20/00/22	75—78 में दर्शित तालिका में मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली
	टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत
	खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है
	 प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल में विगत 03 वर्षों में उत्खिनत रेत की
	खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है।
	• मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका क्रमांक — निरंक, पेज
	न0. 75—78 में आवश्यक रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन
	हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री फरहत जहान, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि उमारिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खिनज शाखा) जिला— उमारिया पत्र 1362 दिनांक 16/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

समिति ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरुद्ध 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ उमरिया जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

15.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट - भोपाल (रेत खनिज)

Mineral	Sand
Earlier DSR Discussed	SEAC 587 th , 589 th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022

Approved /or
recommend for
Updation (if
Updation then
elaborate
issues)
Doliboration in

Recommended for DSR Updation (Sand)

Deliberation in the SEAC 587th, 589th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022.

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.22

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 2329 दिनांक 27/07/22 के माध्यम से भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—रेत खनिज हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु दिनांक 28/07/22 को प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 28/07/22 (स्केन्ड कापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तावित है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल म.प्र. के पत्र कमांक 2329 दिनांक 27/07/22 द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—रेत खनिज में यह उल्लेख किया गया कि प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को जन—सामान्य के सुझाव हेतु जिले की बेवसाइट पर 21 दिन के लिए अपलोड कराया गया, जिस पर कोई आपत्ति / सुझाव प्राप्त नहीं हुए तथा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किये जाने हेतु समिति की बैठक दिनांक 29/04/22 में रखा गया समिति ने जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधिसूचना दिनांक 25/07/18 के अपेंडिक्स—10 में वर्णित फॉरमेट तथा स्ट्रेक्चर सस्टेनेबल सेंड माईनिंग गाइडलाईन, 2016, इनफोर्समेंट एण्ड मॉनिटरिंग गाइडलाईन फॉर सेंड माईनिंग, 2020 में दिए गये दिशा—निर्देशों को समाहित करते हुए प्रारूप जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार किया जाना पाया गया।

राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को सीधी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट–2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सीधी की ओर से श्री कमल दिनकर, उप संचालक, खिन कर्म, भोपाल ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :-

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में कुछ जानकारियाँ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेट/ तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल क्रमांक 16 व 17 (पेज क्रमांक-77 व 78) में खनिज रेत हेतु लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
- 2. प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षों में उत्खिनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा है ।
- इसी प्रकार पेज क्रमांक-07 पर सिर्फ 02 रेत खदानों का विवरण दिया गया है तथा उसमें भी उनका क्षेत्रफल तथा लीज वैधता की अविध का उल्लेख नहीं है जो अधिसूचना में निहित प्रपत्र अनुसार दी जाना चाहिए ।
- 4. इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को—आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो।
- 5. समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि निदयों में किसी स्थान पर मछिलयों / कछुआ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है।

चर्चा उपरांत सिमिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला भोपाल को सिमिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओं के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित श्री कमल दिनकर, उप संचालक, खिन कर्म, भोपाल को भी उपरोक्त संदर्भ में

	समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22 खिनज अधिकारियों से चर्चा के दौरान जिला रायसेन, भोपाल एवं सीधी के खिनज अधिकारी (जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में सूचीबद्ध नहीं थी) भी चर्चा में आमंत्रित किये गये थे तािक लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वे अपनी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर सके । इस दौरान खिनज अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान उठाये गये प्रश्नों पर भी चर्चा की गयी एंव उनका शंका समाधान भी किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खिनकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खिनज अधिकारी को भी समिति ने निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर भी जिले के सभी खिनज अधिकारियों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रस्तुत करें तािक बार—बार संशोधनों की आवश्यकता न पड़े।
Revised DSR received from District Collectorate (Mining) Hard Copy Soft Copy or both	Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Bhopal, No. 2435 dated 17.08.2022 Hard copy & Soft copy
SEAC meeting dated 26/08/22	 प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, भोपाल के तालिका 16, पेज न0. 88 में दर्शित तालिका मे मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) प्रस्तुत कर दी गई है प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल में विगत 03 वर्षो में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है। मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका तालिका 16, पेज न0. 88 में आवश्यक रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26/8/22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं श्री के.पी. दिनकर खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— भोपाल पत्र 2435 दिनांक 17/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल

(रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है। समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खिनज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ भोपाल जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

16.जिला सर्वेक्षण रिर्पोट - सीधी (रेत खनिज)

Mineral	Sand		
Earlier DSR Discussed	SEAC 587 th , 589 th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022		
Approved /or recommend for Updation (if Updation then elaborate issues)	Recommended for DSR Updation (Sand)		
Deliberation in the SEAC 587 th , 589 th Meeting dated 02.08.22, 17.08.2022.	राज्य स्तरीय मूल्यांकन सिमिति की 587वीं बैठक दिनांक 02.08.22 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – सीधी, म.प्र.– (रेत खनिज) कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी के पत्र कमांक 220 दिनांक 14/07/22 के माध्यम से सीधी जिले		
17.08.2022.	की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट रेत एंव अन्य गौण खनिज हेतु अलग—अलग 02 वॉल्यूम में राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण एवं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु ई—मेल के माध्यम से (सॉफ्टकापी) भेजी गई है जो राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को दिनांक 22/07/22 को प्राप्त हुई है । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 24/07/22 (सॉफ्टकापी) को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा हेतु राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को प्रस्तावित है।		
	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सीधी म.प्र. के पत्र क्रमांक 220 दिनांक 14/07/2022 द्वारा प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि इस रिपोर्ट का अनुमोदन जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा दिनांक 30/06/22 को किया गया तथा अनुमोदन उपरांत जिले की बेवसाईट पर दिनांक 01/06/22 को अपलोड किया गया, जिसमें कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए ।		
	राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 587 वीं बैठक दिनांक 02/08/2022 को सीधी जिले की उक्त नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट—2022 (रेत खनिज), पर चर्चा की गई। चर्चा के दौरान खनिज विभाग, सीधी की ओर से सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित हुए जिसमें पाया गया कि :—		

रेत खनिज प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) में क्छ जानकारियाँ पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा निर्धारित फार्मेंट / तालिका में नहीं दी गई है । जैसे टेबिल क्रमांक 15 एवं 16 में खनिज रेत हेत् लीजवार "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60% टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार लम्बाई एंव चौड़ाई के साथ नही दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है। प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विगत 03 वर्षो में उत्खनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना इसी प्रकार एनुअल डिपोजिशन तथा मिनरल पोटेंशियल की जानकारी भी अधिसूचना में निहित प्रपत्र अनुसार दी जाना चाहिए । इसी प्रकार जिले में स्वीकृत / प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप (आर्क व्य / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो। समिति ने संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछ्आ / घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है। चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला सीधी को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये। ऑन लाईन उपस्थित सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई तथा पर्यावरण, वन एवं जलवाय् परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत) को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेत् प्रेषित है। राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 589 वीं बैठक दिनांक 17/08/22 खनिज अधिकारियों से चर्चा के दौरान जिला रायसेन, भोपाल एवं सीधी के खनिज अधिकारी (जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुतीकरण में सुचीबद्ध नहीं थी) भी चर्चा में आमंत्रित किये गये थे ताकि लिये गये निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में वे अपनी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन कर सके । इस दौरान खनिज अधिकारियों द्वारा बैठक के दौरान उठाये गये प्रश्नों पर भी चर्चा की गयी एंव उनका शंका समाधान भी किया गया। जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी को भी समिति ने निर्देशित किया कि वे अपने स्तर पर भी जिले के सभी खनिज अधिकारियों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपत्र अनुसार प्रस्तृत करें ताकि बार-बार संशोधनों की आवश्यकता न पड़े । **Revised DSR** Received soft copy vide District Collectorate (Mining) Office, Sidhi, No. received from 353dated 17.08.2022 District Collectorate (Mining) **Hard Copy Soft** Hard copy & Soft copy Copy or both **SEAC** meeting प्रस्तृत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, सीधी के तालिका 14.3, पेज न0. 24-27 dated 26/08/22 में दर्शित तालिका मे मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल

में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत

खनन हेतु) प्रस्तुत कर दी गई है

- प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के टेबिल में विगत 03 वर्षों में उत्खिनत रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई गयी है।
- मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली तालिका तालिका 14.3, पेज न0. 24—27 में आवश्यक रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

आज दिनांक 26 / 8 / 22 को जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचानालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, एवं सुश्री दीपमाला तिवारी, खनिज अधिकारी के साथ उपस्थित रहे ।

चर्चा उपरांत समिति ने पाया कि सीधी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आंमत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खिन. अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर,(खिनज शाखा) जिला— सीधी पत्र 353 दिनांक 17/08/22 के माध्यम से मिनरल पोटेंशियल की गणना में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट में प्रस्तुत कर दी गई है।

सिमित ने जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिसके संदर्भ में उपस्थित खनन् अधिकारियों द्वारा बताया गया कि विगत् 02 से 03 वर्षों में कोविड महामारी, मांग कम होने इत्यादि के कारण कुछ खदानों से रेत की निकासी काफी कम हुई है जिस कारण यह अंतर परिलक्षित हो रहा है। सिमिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि रेत खनन् के ऐसे प्रकरण जहां 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षों के उत्पादन की मात्रा में 05 गुना या उससे से भी अधिक का अंतर है ऐसे सभी प्रकरणों में पर्यावरणीय अभिस्वीकृती हेतु प्रकरण ऑन लाईन प्रस्तुत करते समय उनकी अनुमोदित खनन् योजना में उस स्थल की सारगर्भित रिप्लेनिशमेंट स्टडी प्रस्तुत की जाये तथा 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल के विरूद्व 05 गुना या उससे से भी अधिक रेत की मात्रा के अंतर का औचित्य दर्शाया जाये ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला स्तर पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार करने हेतु गठित जिला समिति की अनुशंसा तथा की गई रिप्लेनिशमेंट स्टडी की जानकारी (जिसके आधार पर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार की गई हैं) संबंधित जिला खनिज अधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

अतः समिति द्वारा सुझाव गई उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ सीधी जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एंव आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की ओर प्रेषित की जाये ।

17. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, भोपाल को प्राप्त हो रही जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो पर चर्चा :

समिति को अवगत कराया गया कि प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग का अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक 3566 दिनांक 22/08/2022 के माध्यम से अवगत कराया है कि जिलों में शासकीय कार्यों में रेत की उपलब्धता कराये जाने की प्राथमिकता को देखते हुए तथा आमजनों को रेत उपलब्धता सुनिश्चित् कराने, स्थानीय जनों को रोजगार उपलब्ध कराने तथा राजस्व प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए डीएसआर के अनुमोदन के संबंध में कार्यवाही शीघ्र किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 590वीं बैठक दिनांक 26 / 08 / 2022 मे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचालनालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी भी उपस्थित थे।

समिति ने चर्चा के दौरान यह पाया कि अभी तक जिलों से प्राप्त हो रही जिला सर्वेक्षण रिपार्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारियाँ संबंधित जिला खनिज अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की जा रही है, जिस कारण में इनमें बार—बार सुधार की आवश्यकता पड़ रही हैं। जिन बिंदुओं पर संबंधित जिला खनिज अधिकारियों द्वारा बार—बार समझाइश देने के बाद भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है वे निम्नानुसार है:—

- √ रेत की उपलब्धता पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 में बतायी गयी तालिका के अनुसार नहीं बनायी जा रही है।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की तालिका में खनिज रेत हेतु लीजवार '' माइनेबल मिनरल पोटेंशियल'' (घनमीटर में) (60: टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार (लम्बाई एव चोड़ाई के साथ) नहीं दिया गया है जो दिया जाना आवश्यक है।
- जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में तालिकाओं में माइनेबल मिनरल पोटेंशियल (घनमीटर में) 60: टोटल मिनरल पोटेंशियल, लीजवार, लंबाई, चौड़ाई एंव गहराई के साथ दर्शाया है परन्तु विगत 03 वर्षों के उत्खिनित रेत की मात्रा का लीजवार पोटेंशियल नही दिया गया है, जिससे ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षों में कितना रहा।
- ✓ विगत 03 वर्षो में उत्खिनित रेत की खदानवार मात्रा भी दर्शाई जाये, जिससे यह ज्ञात हो सके कि उस स्थल पर खदान का मिनरल पोटेंशियल विगत 03 वर्षो में कितना रहा है ।
- ✔ मिनरल पोटेंशियल की गणना दर्शाने वाली टेबल में आवश्यक संशोधन कर रेत की 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल (रेत खनन हेतु) मीट्रिक टन यूनिट संस्टेनेवल एण्ड माईनिंग गाईडलाईन, 2016 के अनुसार में भी दर्शाये ।
- √ जिला सर्वेक्षण रिर्पोटो के प्रस्तुतीकरण एवं परीक्षण में पाया कि रेत की कई स्वीकृत खदानों

में 60 प्रतिशत माइनेबल पोटेंशियल तथा विगत् 03 से 05 वर्षो के उत्पादन की मात्रा में 10 गुना से भी अधिक का अंतर है जिस पर कोई औचित्य या कारण नहीं दर्शाया गया है।

- √ रेत खनन के कई मामले मे लीज की वैद्यता नही दर्शायी जा रही है।
- √ रेत की मात्रा की गणना करने में कई प्रकरणों समक्ष गहराई नही दर्शायी जाती है जिससे उसका आधार अस्पष्ट रहता है ।
- √ सेक की बैठक में उपस्थित होने वाले खनिज अधिकारियों को ही उनके
 द्वारा जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में की गई गणना का औचित्य स्पष्ट नहीं होता ।
- ✓ जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की कई टेबिलों में लिपिकीय / टंकण त्रुटि के कारण पूरी गणना त्रुटिपूर्ण की गई है ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की इस बैठक व विगत 02 से 03 बैठकों में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के प्रस्तुतीकरण के दौरान संचालनालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल से श्री पी.पी. राय, खनिज अधिकारी भी उपस्थित थे जिनकों भी इस बारे में समिति द्वारा अवगत कराया गया तथा उनसे अनुरोध किया गया कि वे उपरोक्त तथ्यों से प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग, म.प्र. शासन, भोपाल को अवगत कराये । समिति की यह भी अनुशंसा है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को भेजने के पूर्व संचालक, संचालनालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल अपने स्तर से भी संबंधित विभागीय अधिकारियों से परीक्षण करा लें तािक त्रृटियों की संभावना कम हो सके। समिति की अपेक्षा है कि संचालनालय, भौमिकी एंव खनिकर्म, विभाग भोपाल द्वारा इस संबंध में विस्तृत निर्देश सभी खनिज अधिकारियों को जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित नहीं हुई हो, जारी किये जाये तथा उनको ताकीद किया जाये कि वे जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की सस्टेनेवल सेंड माईनिंग मैनेजमेंट गाईडलाईन, 2016, इंफोर्समेंट मॉनिटरिंग फॉर सेंड माईनिंग गाईडलाईन, 2020 तथा अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित प्रपन्न अनुसार ही बनाये तािक बार—बार संशोधनों की आवश्यकता न पड़े तथा प्रमुख सचिव, खनिज संसाधन विभाग को उनके अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक 3566 दिनांक 22/08/2022 के संदर्भ में उपरोक्त तथ्यों से अवगत कराया जाये।

(ए.ए. मिश्रा) सदस्य सचिव (डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - c. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष[ँ] हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं ४ से ६ पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड—बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'B'

Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream

- side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4th or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - f. Lease owner's Name, Contact details etc.

- g. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
- h. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
- i. Minable Potential of sand mine.
- j. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- k. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
 - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
 - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
 - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
 - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
 - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
 - vi. The mining activity shall be monitored by the Taluk level Force once in a month by conducting physical verification.
 - vii. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
 - viii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
 - ix. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 38. खदान क्षेत्र में किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतू निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।

- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
- नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल		ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र		02.5 फिਟ	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी		03.5 फਿਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)	बनाना		
	तीन वर्षो तक ।			
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।			

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के त्रंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षी तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'C'

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain

- a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
 - 1. Lease owner's Name, Contact details etc.
 - m. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
 - n. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
 - o. Minable Potential of sand mine.
 - p. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
 - q. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.

- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activates proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5 :- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिਟ	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 फिਟ	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण ।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।

सीड-बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.

- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas shall be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
 - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
 - Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
 - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
 - PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.
- 34. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
 - Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
 - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
 - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.

- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश।
 - नोट 1:— स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
 - नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है।
 - नोट 3:— पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
 - नोट 4:- पौघों की ऊँचाई / गोलाई -
 - नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य किया जाना चाहिए।
 - नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 फिट	03 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 फिट	05 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	बनाना तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई ।		

नोट ७ :- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई पश्चात् वर्ष पूर्ण बीज रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (०७ दिवस के अंदर) पश्चात् ही रोपण।
- बीज रोपण पश्चात् अंकुरण एवं 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 36. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 37. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 38. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 39. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained